असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

30 मार्च, 2022

सप्तदश विधान सभा — बुधवार, तिथि 30 मार्च, 2022 ई0
पंचम सत्र — 09 चैत्र, 1944 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन । पूरक पूछिए ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये । पोस्टर हटवा लीजिए । बैठ जाइये । आपलोग वेल में नहीं आइये, वापस जाइये ।

(इस अवसर पर सी0पी0आई0(एम0एल0), सी0पी0आई0, सी0पी0आई0(एम0) के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

माननीय सदस्यगण, यह गलत है । आपलोग अपने स्थान पर जाइये । आपलोगों ने कार्यस्थगन दिया है और अभी बोलिएगा तो कार्यस्थगन में मौका नहीं दिया जायेगा।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, पूरक पूछिए उत्तर संलग्न है ।

(व्यवधान जारी)

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-131 (श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, क्षेत्र सं0-133, समस्तीपुर)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- स्वीकारात्मक है ।

2- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । कोरोना काल-खंड में सरकार के निर्णय के अनुसार लंबी अवधि तक आवासीय प्रशिक्षण को स्थगित रखा गया था । ऐसी परिस्थिति में कोविड महामारी के कारण सुचारू रूप से आवासीय प्रशिक्षण संचालन हेतु किसी नए P.I.A को कार्य देना उचित नहीं था । कोरोना काल में यह निर्णय प्रशिक्षुओं के स्वास्थ्य संबंधी हित को ध्यान में रखकर लिया गया था । यह वर्णित करना उचित होगा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डी0डी0यू0/जी0के0वाई0) के अंतर्गत प्रशिक्षण आवासीय होता है । कोरोना काल की चुनौतियों के सापेक्ष में किसी P.I.A को युवाओं के आवासीय प्रशिक्षण हेतु कार्य देना चुनौतीपूर्ण था ।

कोरोना काल-खंड के चुनौतीपूर्ण समय के खत्म होने के उपरान्त कौशल विकास से संबंधित कार्य को क्रियान्वित करने की योजना है । इससे संबंधित सभी तैयारियों की रूप रेखा पर कार्य पूरा कर लिया गया है ।

यह प्रस्तावित है कि समस्त वर्णित P.I.A के आवेदनों को P.A.C (Project Approval Committee) के समक्ष निर्णय हेतु अप्रैल, 2022 में प्रेषित किया जायेगा ।

3- अस्वीकारात्मक है ।

4- उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से बेरोजगारी का मामला पूरे बिहार में चरम पर है और उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए ग्रामीण कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण देने का प्रावधान है । जिसके तहत बहुत लोगों को, हजारों लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार दिया जा सकता था...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : और पिछले दो वर्षों से यह प्रशिक्षण केंद्र बंद पड़ा हुआ है । इन्होंने जवाब दिया कि कोरोना के कारण जबकि तमाम शिक्षण संस्थाएं...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आपलोगों की कोई बात प्रोसीडिंग्स में नहीं जायेगी ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : कोरोना के वक्त भी चलती रहीं, क्या इसकी ऑनलाईन व्यवस्था नहीं की जा सकती थी, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, ग्रामीण विकास विभाग ।

(व्यवधान जारी)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय शाहीन साहब ने बहुत ही माकूल प्रश्न किया है । राज्य के युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है और हमने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा है कि कोरोना के कारण यह प्रशिक्षण बंद रहा है महोदय, लेकिन माननीय सदस्य सजग हैं और उन्होंने प्रश्न उठाया है । अब जो प्रक्रिया है पूरी तरह से चालू कर दिया गया है और प्रशिक्षण का काम अब बहुत तेजी से चलेगा। माननीय सदस्य की जो इच्छा है उसके अनुरूप हमलोग कार्य करेंगे ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का जवाब बहुत ही सकारात्मक जवाब है । सभी लोग यह जानते हैं कि बिहार में रोजगार एक गंभीर समस्या है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है । सरकार जो 119 पी0आई0ए0 है क्या इसे बढ़ाकर 200 या 300 करने का विचार रखती है ? ताकि बड़ी संख्या में लोग प्रशिक्षित हो सकें ।

कोरोना के कारण जो बहुत सारे लंबित रह गये हैं, इनकी संख्या को बढ़ाने का विचार रखती है ? ताकि हजारों लोग प्रशिक्षित हो सकें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना 2014 से चल रही है और राज्य में अभी तक 63438 युवाओं को हमने प्रशिक्षण दिया है लेकिन माननीय सदस्य राज्य के युवकों के रोजगार के मामले उठा रहे हैं महोदय । निश्चित रूप से उनके सुझाव पर हम अमल करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा इनलोगों को जो 2 साल का उनका समय बर्बाद हुआ है उसको हम किसी तरह से मेकअप करें, यह पूरी-पूरी कोशिश हम विभाग की तरफ से करेंगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुख्य सचेतक आप हैं, पहले ये लोग अपने स्थान पर जायं तभी हम मौका देंगे बोलने का । जाइये अपने-अपने स्थान पर । माननीय सदस्यगण, यह बहुत ही गलत चीज है सदन शुरू भी नहीं हुआ कि वेल में आ गये । यह अशोभनीय है, यह उचित नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

आपका कार्यस्थगन उस पर आया हुआ है, आप उचित समय पर अपनी बात को रखें । जाइये अपने-अपने स्थान पर । हल्ला करके बात नहीं सुनी जाती है, गंभीरता से बात कही जाती है । अब जाइये, वेल में बहस मत कीजिए ।

माननीय सदस्य, श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चले गये)

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-132 (श्री अरूण शंकर प्रसाद, क्षेत्र सं0-33, खजौली)</u>

श्री नितिन नवीन, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में कुल 149 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं 1182 गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं । जिनमें स्वीकृत सीटों की विवरणी निम्नवत् है-

क्रम सं0	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी/गैर सरकारी)	आई0टी0आई0 की संख्या	स्वीकृत सीटों की संख्या
1	सरकारी और प्र0 संस्थान	149	26,800

2	गैर सरकारी औ0 प्र0 संस्थान	1182	1,26,796
कुल संख्या		1331	1,53,596

2- अस्वीकारात्मक है । राज्य के सभी 149 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2021 में कुल स्वीकृत सीट 26,800 के विरूद्ध 22,926 छात्र/छात्राओं ने नामांकन लिया है । राज्य के सभी गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्र/छात्राओं का नामांकन संबंधित संस्थान/संचालकों के द्वारा लिया गया है । वर्ष 2021 में गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निम्नांकित प्रशिक्षणार्थियों का डाटा अभी निदेशालय में उपलब्ध नहीं है ।

BCECE Board Patna से सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संबंध में एवं भारत सरकार के NCVT MIS Portal से गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संबंध में प्राप्त सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों में नामांकित प्रशिक्षणार्थियों की विवरणी निम्नवत है-

क्रम सं0	नामांकन वर्ष	स्वीकृत सीट/ नामांकित सीट	सरकारी ITI	गैर सरकारी ITI	कुल योग	प्रतिशत
1	2018	स्वीकृत सीट	26495	132460	158955	75.80 प्रतिशत
		नामांकित सीट	22202	98285	120487	
2	2019	स्वीकृत सीट	26800	136624	163424	77.22 प्रतिशत
		नामांकित सीट	21244	104954	126198	
3	2020	स्वीकृत सीट	26908	126796	153704	67.72 प्रतिशत
		नामांकित सीट	22251	81838	104089	

3- वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सभी 149 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECE Board), पटना द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा (ITICAT) के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति के अनुसार नामांकन की प्रक्रिया की जाती है । पर्षद कार्यालय द्वारा कॉउन्सेलिंग हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक कुछ अभ्यर्थियों को मनोनुकूल व्यवसाय नहीं मिलने, विभिन्न आरक्षण कोटि हेतु योग्य अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता एवं अनुपस्थित रहने आदि विभिन्न कारणों से सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुछ सीटें रिक्त रह जाती हैं ।

राज्य के सभी गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्र/छात्राओं का नामांकन प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार के निर्धारित मापदंडों के अनुसार संबंधित संस्थानों/संचालकों के द्वारा लिया जाता है । निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की नामांकन प्रक्रिया में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अपने उत्तर में बताया है कि वर्ष 2018 में 75.80 प्रतिशत नामांकन हुआ स्वीकृत सीटों में तथा 2019 में 77.22 परसेंट नामांकन हुआ और वर्ष 2020 में आकर महोदय, यह 67.72 परसेंट रह गया, तो नामांकन की जो स्थिति है वह पिछले वर्ष की तुलना में, 2019 की तुलना में 2020 में साढ़े 10 परसेंट की गिरावट है । साढ़े 10 परसेंट कम छात्रों ने नामांकन लिया निजी और सरकारी दोनों आई0टी0आई0 संस्थानों में जगह खाली रह गयी । छात्र नामांकन के लिए नहीं आये महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आखिर साढ़े 10 परसेंट की गिरावट क्यों हुई, इसका क्या कारण है?

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमने ने पूरे विषय से माननीय सदस्य को अवगत कराया है । यह जरूर है कि जो हमारे आई0टी0ई0 हैं सरकारी और गैर सरकारी, आप देखेंगे कि जो सरकारी आई0टी0आई0 हैं उसमें 26 हजार के अनुपात में 22 हजार नामांकन हुए । ये जो 75 परसेंट गिरावट की बात कर रहे हैं, तो आप देखें कि हमारे जो सरकारी आई0टी0आई0 हैं उसमें वही रेशियो बना रहा 26 हजार के अंगेस्ट 22,251, लेकिन जो गैर सरकारी हैं उसमें गिरावट नोटिस की गयी है । चूंकि उसको कैंप लगाकर हमलोग करते रहे थे तो इस बार जो कोरोना के कारण थोड़ा कैंप कम लगा और हम जो कैंप लगाते हैं, लेकिन हमारे जो सरकारी आई0टी0आई0 हैं उसमें हमारा रेशियो उसी अनुपात में है लेकिन गैर सरकारी में इसका अनुपात कमा है । इस पर निश्चित रूप से विभाग भविष्य में समीक्षा करके निर्णय करेगा ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, आप तो खुद इस विभाग के मंत्री रहे हैं, इस विभाग को बहुत करीब से आपने देखा है । इस विभाग में आनन-फानन में जो मान्यता दे दी जाती है निजी संस्थानों को, जिसके पास सारी शर्तें पूरी करने की अर्हता नहीं है ऐसे भी संस्थानों को जैसे-तैसे अनदेखी करके उसको जो मान्यता दे दी जाती है उसके कारण, गुणवत्ता नहीं आने के कारण छात्र नामांकन नहीं ले रहे हैं महोदय । अन्य राज्यों में बिहार के छात्र पलायन कर रहे हैं और यहां के आई0टी0आई0 में नामांकन नहीं हो रहा है । इसके लिए भारत सरकार से कई पत्र दीपक कुमार जी के यहां आया । बाकी लोगों के यहां आया है और कहा गया है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है ? महोदय, इस वर्ष हालत और दयनीय है, 45 से 50 परसेंट

नामांकन हुआ है, तो क्या हम यह उम्मीद करें कि यह बंद हो जायेगा धीरे-धीरे इसी प्रकार से ।

अध्यक्ष : उम्मीद पर ही लोग जीते हैं न ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : तो क्या माननीय मंत्रीजी यह बताना चाहेंगे कि कैसे ये आई0टी0आई0 बंद नहीं होंगे ? क्या समीक्षा करेंगे ? क्या कार्रवाई करेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कैसे नहीं बंद होगा, हमलोग तो कह रहे हैं कि उसको भविष्य में बेहतर करने के लिए योजना बना रहे हैं और जहां तक आप देखेंगे महोदय, अभी 53 औद्योगिक नए संस्थान, नए ट्रेड हमलोगों ने खोले हैं और उन नए ट्रेडों में जैसे इलेक्ट्रॉनिक पावर डिस्ट्रिब्यूशन से आई0टी0 के डिपार्टमेंट को लाया गया है । सोलर तकनीक को लाया गया है, तो हमारे जो गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर्स के भी हैं उनको हमलोग बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं और जो माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है हमलोगों ने शुरू में ही कहा कि चूंकि कोरोना का काल-खंड था हमलोग अधिक-से-अधिक, और भविष्य में विभाग इस पर भी निर्णय कर रहा है कि जो प्राइवेट आई0टी0आई0 हैं उनको भी अपने अधीन लाया जाय ताकि उनका कंट्रोल भी सरकार के पास डायरेक्ट रह सके ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, एक तो इनके यहां जो कठिनाइयां हैं वह खुद भी लिख रहे हैं उत्तर में कि यहां प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, छात्रों को नौकरियां नहीं मिल पा रही इसलिए भी नामांकन नहीं ले रहे हैं, तो क्या ये प्लेसमेंट पोर्टल इनका नहीं बना ? और जो भ्रष्टाचार श्रम विभाग के अंदर फैला हुआ है जिसके लिए प्रधान सचिव को केंद्र ने पत्र लिखा कि 42.9 फीसदी ही नामांकन हो सका है, इसलिए राज्य के सचिव, प्रधान सचिव इस मामले में हस्तक्षेप करें । महोदय, स्थिति यहां तक आ गयी है और ये और खोलने जा रहे हैं, उतने में तो सीट नहीं भर रहा है तो ये और खोल कर क्या करेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बताइये ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस विषय पर चिंता व्यक्त की है, हमलोगों ने शुरू में ही कहा कि ऑलरेडी हमलोगों ने इसको, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वह अपने अधीन लाने के प्रयास में है जो प्राइवेट आई0टी0आई0 हैं उसको कंट्रोल में लेने के लिए, अभी तक इस पर विभाग का कोई कंट्रोल नहीं था। अभी हमलोगों ने जो बी0सी0ई0सी0ई0 के थ्रू जो एग्जाम लिया है उसमें जिस प्रकार से आवेदन आये हैं उसके थ्रू ही हमलोग उनको लेते हैं । जो प्लेसमेंट सेल बनाने की बात कर रहे हैं माननीय सदस्य, उसको भी बनाने पर विभाग विचार कर

रहा है और बहुत जल्द प्लेसमेंट कितने हुए हैं इसकी पूरी जानकारी विभाग के पास, प्लेसमेंट सेल जब बन जायेगा तो निश्चित रूप से विभाग के पास आने लगेगी तब हम इसकी डिटेल बता पायेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्य की जो चिंता है कि जिस आई0टी0आई0 ने अर्हता पूरी नहीं की या जिसके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हैं ऐसे आई0टी0आई0, एक बार और प्रश्न इस सदन में आया था जिसमें कहा गया था कि आप उसका जवाब देंगे लेकिन आपके विभाग से आजतक उसका जवाब नहीं आया है, संजय सरावगी जी का प्रश्न था । इन्होंने हमको भी कोट कर लिया कि मंत्री थे, हमने तो उस समय जिसमें बिजली पावर कनेक्शन नहीं था वैसे लगभग 242 से ज्यादा आई0टी0आई0 को रद्द करने के लिए भेजा था हमारी जहां तक जानकारी है । तो थोड़ा अपने स्तर से इसको दिखवाकर आप पूरी जानकारी लें । सरकारी आई0टी0आई0 तो बेहतर कर रहे हैं, उसको तो गवर्नमेंट के द्वारा संरक्षित करके आम जन-साधारण के लिए भी ज्यादा उपयोगी बनाने की व्यवस्था बनायी जा रही है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय...

अध्यक्ष : अब हो गया ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, निजी आई0टी0आई0 जो हैं उसमें जितना भ्रष्टाचार है, मंत्री महोदय की भी बात श्रम विभाग सुनता होगा या नहीं मुझको नहीं लगता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्रीजी आपको बोले हैं कि नहीं सुनता है ?

श्री अरूण शंकर प्रसाद : नहीं सुनता होगा महोदय, इसलिए इतना हो रहा है । अगर श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियों पर माननीय मंत्रीजी का ठीक प्रकार से नियंत्रण हो.

टर्न-2/हेमन्त/30.03.2022

अध्यक्ष : आपका विषय आ गया । हमने कह दिया है कि इसको गंभीरता के साथ आप देखें।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : भारत सरकार का कौशल विकास फेल हो रहा है इस विभाग के कारण । इसीलिए माननीय मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए इस विषय पर ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने गंभीरता से जवाब दिया है ।

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय, जब आप मंत्री थे और जब आपने लिखा 200 आई0टी0आई को समाप्त करने के लिए, क्या अभी तक वह समाप्त हुए ?

अध्यक्ष : अब वह प्रश्न अलग है । माननीय मंत्री जी उसका जवाब भिजवा दीजिएगा कि क्या हुआ है, आसन उसको देख लेगा ।

गंभीरता के साथ प्रश्न करिये, आप लोग राज्य के हित में प्रश्न करते हैं और सरकार भी राज्य के हित में काम करती है । श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0–133(श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र सं0–9, सिकटा)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री(लिखित उत्तर) : 1– अंशतः स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में सम्प्रति 20,857 वास स्थल विहीन लाभुक शामिल हैं, जिसमें से 2,107 लाभुकों को ''मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना'' के तहत वास भूमि क्रय हेतु सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी है । शेष 18,750 लाभुकों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत भूमि बंदोबस्ती अथवा मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत वास भूमि क्रय करने वास भूमि करने हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराया जाना है ।

2– प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अनुसार आवास निर्माण के लिए न्यूनतम 25 वर्ग मीटर का क्षेत्र निर्धारित है ।

लाभुक को पूर्व में सरकार द्वारा किसी भी योजना के तहत वास भूमि उपलब्ध नहीं कराये जाने तथा लाभार्थी के पंचायत अन्तर्गत कोई वास योग्य सरकारी भूमि वितरण के लिये उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में ''मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना'' के तहत वास भूमि क्रय हेतु 60 हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है ।

3– योजनान्तर्गत लाभुकों को पंचायत अन्तर्गत योग्य वास भूमि का चयन कर प्रखंड कार्यालय को सूचित करने का प्रावधान है । लाभुकों द्वारा वास भूमि के चयन में विलम्ब के कारण योजना का लाभ देने में अधिक समय लगता है ।

सभी वास भूमि विहीन लाभुकों को वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ संयुक्त रूप से जिलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जाता है ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि पी0एम0 आवास के जो लाभुक हैं और जिनके पास अपनी आवासीय भूमि नहीं है, उनको पंचायतों में जमीन ठीक करके और प्रखंड कार्यालय में सूचित करना है कि यहां जो जमीन है 60 हजार रुपये में तीन डिसमिल और सरकार उसको खरीदकर वहां उनका घर बनवाये । तो महोदय, हमारा प्रश्न तो यही था ही कि 60 हजार रुपये में कहीं भी तीन डिसमिल जमीन नहीं मिलती है बिहार में, तो बिहार में जो रजिस्ट्री कार्यालय हैं, निबंधन कार्यालय हैं उसमें जो मानक तय किया गया है जमीन का,

रेट तय किया गया है, उसका जो वैल्यूएशन है, उसके आधार पर सरकार गरीबों को तीन डिसमिल जमीन खरीदने का पैसा देगी..

अध्यक्ष : पूरक क्या है ?

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : वही पूरक है, उन्होंने कह दिया कि वह तो उपलब्ध होगा नहीं और उन्होंने कह दिया कि प्रखंड कार्यालय को वह सूचित करें । वह तो सूचित कर नहीं पायेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने गरीबों से जुड़े हुए सवाल को उठाया है । मैं इनको सरकार की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं । महोदय, माननीय सदस्य जिस बात के लिए चिंता में हैं उसके लिए सरकार पहले से चिंतित है और सरकार ने जो योजना बनायी है कि जहां पर सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां पर हम उन लाभुकों को जिनका नाम प्रधानमंत्री की सूची में आवास के लिए वह पात्र परिवार हैं, उनको हम 60 हजार रुपया देंगे और बताते हुए सदन को प्रसन्नता हो रही है और माननीय सदस्य भी इसको संज्ञान में लेंगे कि 2157 लाभुकों को अभी तक 60-60 हजार रुपये की राशि भुगतान की गयी है, उन्होंने जमीन भी खरीदी है, उस पर प्रधानमंत्री आवास का भी निर्माण कार्य चल रहा है और कुल मिलाकर 12,94,20,000 रुपया अब तक व्यय किया गया है महोदय । लेकिन कुछ जो हमारे लाभुक हैं, वह दूसरी जगह चले जाते हैं, इधर-उधर चले जाते हैं उसमें थोड़ा विलंब हो रहा है । इसके लिए हम चिंतित हैं और जल्द-से-जल्द जो बचे हुए लोग हैं हम उनको आवास के लिए जमीन उपलब्ध करा देंगे । इसके लिए पूरी-पूरी तैयारी हो रही है ।

अध्यक्ष : श्री नीतीश मिश्रा ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : हमारा पूरक है महोदय ।

अध्यक्ष : बोलिये ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, हमारा दूसरा पूरक है कि मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें यह लिखा हुआ है कि मात्र 2100 कुछ लोगों को दिया गया है जबकि 18750 जो लोग हैं जिनका पी0एम0 आवास स्वीकृत हो चुका है वह जमीन की सूचना नहीं दे पा रहे हैं प्रखंड कार्यालय में । 60 हजार रुपये में कहीं तीन डिसमिल जमीन मिल ही नहीं रही है, तो हम माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहेंगे कि बाजार रेट के आधार पर ये चीजें तय की जा सकती हैं कि नहीं और दूसरी बात हम यह कहना चाहेंगे माननीय मंत्री जी से कि जिनका पी0एम0 आवास स्वीकृत हुआ..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक-दो आदमी आगे आ जाइये । प्रहलाद जी, आगे बैठ जाइये । ठीक है, बोलिये ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : दूसरी बात हम कहना चाहेंगे माननीय मंत्री जी से, सरकार से कि 18750 जो लोग हैं, ये तो वैसे लोग हैं जिनका पी0एम0 आवास स्वीकृत हो गया, बिहार में ऐसे लाखों-लाख लोग हैं, क्या सरकार उनका सर्वे करायेगी ? ये हमारे अभी दो पूरक हैं कि बाजार भाव से सरकार जमीन का दाम देगी कि नहीं, जो पी0एम0 आवास के लाभुक हैं और बिहार में कितने ऐसे लोग हैं, लाखों-लाख लोग हैं उनका सर्वे कराकर पहले से भूमि उपलब्ध कराने का पूरी अपनी योजना बनायेगी कि नहीं सरकार ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, मैंने माननीय सदस्य को उत्तर में स्पष्ट किया है, लेकिन माननीय सदस्य पूरक जो पूछ रहे हैं, 18750 लोगों को अभी आवास स्वीकृत नहीं हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास सूची में उनका नाम है, वह पात्र परिवार हैं, वह प्रधानमंत्री आवास के हकदार हैं । जब आवास के लिए जमीन उपलब्ध हो जायेगी, तब उनका निबंधन भी होगा, उनकी स्वीकृति भी होगी, उनको फर्स्ट किश्त की राशि भी जायेगी और जैसे-जैसे निर्माण करेंगे, उनको राशि दी जायेगी महोदय । हमने कहा है कि सरकार चिंतित है । महोदय, देश का यह पहला राज्य बिहार है जहां गरीबों की चिंता बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने की और कहा कि अगर उनको सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होगी, तो 60 हजार रुपया राज्य के खजाने से देकर उनके घर निर्माण के लिए हम उनको प्रोत्साहित करेंगे, तो हम प्रोत्साहित कर रहे हैं और हमको हतोत्साहित करने में माननीय सदस्य लगे हैं । माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहते हैं...

अध्यक्ष : अब हो गया ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : कि जहां-जहां ऐसे लोग हैं उनकी सूची आप दीजिए उन पर हम कार्रवाई करेंगे और जल्दी-से-जल्दी उनको हम जमीन उपलब्ध करायेंगे ।

अध्यक्ष : समय समाप्त हो रहा है । माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-134(श्री नीतीश मिश्रा, क्षेत्र सं0-38, झंझारपुर)</u>

श्री नीतीश मिश्रा : 10:45 तक उत्तर प्राप्त नहीं था अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आज आपके विभाग का मात्र 51 परसेंट जवाब है । आपका तो बहुत अच्छा, शत प्रतिशत आता था । दिखवा लीजिए, समीक्षा करिये ।

श्री जयंत राज, मंत्री : दिखवा लेते हैं महोदय ।

1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

2- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । केंद्र प्रायोजित एवं राज्य प्रायोजित वैसी योजनाएं जिसमें रैयती भूमि शामिल रहती है, आवश्यकतानुसार भू-धारियों को राज्य सरकार द्वारा मुआवजा देकर सतत लीज/भूमि अधिग्रहण किया जाता है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि योग्य अवशेष टोलों एवं बसावटों का सर्वे एप के माध्यम से किया गया है । मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क (अवशेष) योजना के तहत इन टोलों एवं बसावटों को सम्पर्कता प्रदान की जायेगी । राज्य सरकार द्वारा इन योजनाओं का निर्माण बाह्य श्रोत (NDB-BRICS) से ऋण प्राप्त कर कराये जाने हेतु आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है एवं आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है । भारत सरकार, राज्य सरकार एवं वाह्य एजेंसी से त्रिपक्षीय ऋण वार्ता के उपरांत सारी औपचारिकताओं को पूरा कर निर्माण कार्य कराया जायेगा । आवश्यकतानुसार भू-अर्जन/सतत लीज पर भी भूमि अधिग्रहण कर सड़क का निर्माण कार्य कराया जायेगा । भू-अर्जन/सतत लीज पर भूमि अधिग्रहण की राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा अपनी निधि से किया जायेगा ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, विभाग का एक पत्र है जो 6 अप्रैल, 2017 को निर्गत हुआ था और इसमें हमने अधिग्रहण की बात की थी लेकिन मुझको यह पत्र बाद में प्राप्त हुआ । उसमें लीज का प्रोविजन है । तो पांच वर्षों में पूरे बिहार में ऐसे कितने मार्ग चिन्हित हुए हैं, जो 100 से 250 की आबादी को सात निश्चय पार्ट 1 में और आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय पार्ट 2 में इनको जमीन लीज पर लेनी थी और ऐसे वंचित टोले जिनको सम्पर्क पथ नहीं है, क्योंकि वह रास्ता किन्हीं की निजी जमीन है और वह ऐसे तो जाते हैं, लेकिन सड़क निर्माण की अनुमति वह नहीं देते हैं । मेरे प्रश्न का मूल उद्देश्य यही था । अध्यक्ष महोदय, सभी माननीयों के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे टोले होंगे कि आने-जाने का रास्ता तो भू-स्वामियों ने दिया है, लेकिन सड़क निर्माण के लिए वे उनको रोक देते हैं, अनुमति नहीं देते हैं। तो विगत पांच वर्षों में ऐसे कितने सर्वेक्षण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराये गये बिहार के सभी कार्य प्रमंडलों में ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब में हमने स्पष्ट बताया है कि जहां पर आवश्यकता पड़ती है वहां पर पहले सतत लीज पर प्रयास करते हैं उसके बाद अगर सतत लीज पर सहमति बन जाती है तो भू-अर्जन भी करते हैं । अगर नहीं सतत लीज पर होता है तब भू-अर्जन भी करते हैं । अभी तक जो विभाग के द्वारा

जी0टी0एन0एस0वाई0 43 करोड़ रुपये का व्यय करके सतत लीज से भू अधिग्रहण किया गया है । एम0एम0जी0एस0वाई0 में 186.59 करोड़..

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, प्रमोद जी अपने स्थान पर बैठें ।

श्री जयंत राज, मंत्री : की लागत से सतत लीज और भू-अधिग्रहण किया गया है । राज्य योजना में 1.61 करोड़ की लागत से सतत लीज और भू-अधिग्रहण का काम किया गया है । शेष अभी जो छूटे हुए बसावट टोले हैं, उसमें से जो निजी भूमि होगी, उसमें जो आवश्यकता पड़ेगी उसके अनुसार हम करेंगे ।

टर्न-3/धिरेन्द्र/30.03.2022

अध्यक्ष : ठीक है । अब समय समाप्त हुआ । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । श्री पवन कुमार जायसवाल ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-3561 (श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र संख्या-21, ढाका)</u>

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, विभाग का जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग । उत्तर पढ़ें ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल ढाका अन्तर्गत ढाका एवं घोड़ासहन प्रखंड के अंतर्गत कुल 41 पथ अनुरक्षण अवधि से बाहर है । प्रश्न में अंकित दो पथों की स्थिति निम्नवत है:

बरवा कला नहर चौक से पड़रिया वार्ड नम्बर-1 तक, इस पथ की लम्बाई 1.48 किलोमीटर है । पथ का निर्माण शीर्ष 'आपकी सरकार, आपके द्वार' अन्तर्गत कराया गया है । पथ अनुरक्षण अवधि से बाहर है, पथ की मरम्मति हेतु प्राक्कलन PMGSY Phase-3 के अंतर्गत STA को भेजा गया है । STA से जाँच के पश्चात् NRIDA, भारत सरकार को समर्पित है । भारत सरकार की स्वीकृति के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अमवा जमुनिया PWD पथ से जमुनिया बारनार होते छित्तरोली SSD कैम्प तक, इस पथ को भी STA से जाँच कराकर NRIDA, भारत सरकार को भेजा गया है ।

3- स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न में अंकित दो पथ सहित कार्य प्रमंडल, सिकरहना ढाका के अंतर्गत ढाका से घोड़ासहन प्रखंड के कुल 41 पथ अनुरक्षण अवधि से बाहर है जिसकी मरम्मति की आवश्यकता है । 41 में से 34 पथों की मरम्मति हेतु प्राक्कलन नई अनुरक्षण नीति, 2018 के अंतर्गत तैयार कर लिया गया है । निधि की उपलब्धता के आधार पर पथ की मरम्मति हेतु

अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । शेष 07 पथ की मरम्मति हेतु PMGSY Phase-3 के अंतर्गत तैयार कर STA से जाँच के पश्चात् NRIDA, भारत सरकार को समर्पित है। भारत सरकार की स्वीकृति के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी इतना लंबा जवाब दिये हैं ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी से जाकर एक-दो मिनट के लिए मिले भी थे । अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहेंगे...

अध्यक्ष : धन्यवाद देकर, बैठ जाइये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी तो हमलोगों के मित्रवत हैं लेकिन सदन में मित्रवत से काम नहीं चलेगा क्योंकि मंत्री जी से काम हमको कराना है । हम आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहेंगे कि ढाका एवं घोड़ासहन भारत-नेपाल सीमावर्ती प्रखंड है यहां 41 पथ हैं जो अनुरक्षण से बाहर है, Out of Maintenance है । मंत्री जी के जवाब में है कि 34 पथ, अध्यक्ष महोदय, ऐसा है जिसका आठ साल से ज्यादा मरम्मति का हो गया, 15 साल, 16 साल, 12 साल हो गये, जिसकी मरम्मति नहीं हुई, लोग भगवान भरोसे उस पर यात्रा कर रहे हैं । हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि क्या सरकार की जो अभी नीति बनी है उसमें यह शामिल है कि आठ वर्ष से ज्यादा के जो पथ अनुरक्षण से बाहर हैं उसको शामिल कर तत्परता से कराना चाहेंगे ?

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 34 पथों में से 09 पथ विभाग द्वारा चयनित कर लिया गया है, 11 पथ चयन की प्रक्रिया में है और निधि की जैसे-जैसे उपलब्धता होगी, उसके अनुसार हमलोग इस पथ को पूरा करेंगे ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, 09 पथ शामिल कर लिया गया है । मेरा यह कहना है कि जब राज्य में सड़क अनुरक्षण नीति, 2018 बनी हुई है और इसलिए बनाई गई है कि जो सड़क Out of Maintenance होगी, उसकी मरम्मति की जायेगी तो किन पथों का पहले होगा । हम कह रहे हैं कि मेरे यहां 16 साल से पथ है जिसकी मरम्मति नहीं हुई है । 16 सालों में कभी भी उस पथ की मरम्मति नहीं हुई है, 15 साल में नहीं हुई है । मंत्री महोदय, प्राथमिकता तो एक अलग विषय है, मेरा यह कहना है कि ऐसे पथ जो आठ साल से ज्यादा है इसको करने के प्रति आप तत्पर हैं तो इन बचे हुए पथों को कराने में क्या दिक्कत है ? अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हम जहां के जन-प्रतिनिधि हैं अगर 16 साल, 15 साल से उस सड़क की मरम्मति नहीं हुई, कितना गड्ढा होगा यह आकलन किया जा सकता है तो ऐसे पथ को कराने में मंत्री जी को क्या दिक्कत

है । आखिर सदन में हम आपका समय ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आग्रह है कि वैसे कम-से-कम .....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आप इसे गंभीरता से ले लें और दिखवा लें ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, मंत्री जी से कहवा दिया जाय, मंत्री जी तैयार थे । आप कह देंगे तो वह बोल देंगे । आप कह देंगे तो वह बोलने के लिए तैयार हैं, हम उनसे मिले थे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब में हमने स्पष्ट कहा है कि 09 पथ इनका चयनित कर लिया गया है । 07 PMGSY Phase-3 अंतर्गत लिया गया है । शेष जो पथ हैं उसमें से 11 पथ प्रक्रियाधीन है और निधि की भी एक व्यवस्था है, बजट की एक व्यवस्था है उसके तहत ही हमलोग उसे कराने का प्रयास करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी प्राथमिकता में ले लेंगे । श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी । प्राधिकृत हैं श्री ललित यादव जी ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-3562 (श्री मोहम्मद इसराईल संसूरी, क्षेत्र संख्या-95, काँटी)</u>

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1 - स्वीकारात्मक है ।

2- प्रश्न में योजना का नाम स्पष्ट नहीं किया गया है, जिसके कारण उत्तर देने में कठिनाई है ।

3- खंड-ख में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर देखा जाय । इसमें लिखे हैं कि योजना का नाम स्पष्ट नहीं किया गया है । महोदय, इन्हीं के विभागीय सी0एफ0एम0एस0 से, जो यह आवंटन निर्गत किये हैं, इसी में देख लीजिये कि 16 कॉलम पर दरभंगा में इन्होंने जो राशि अवंटित की है और योजना का नाम है 'किसानों के हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना' और इसी योजना का इनका आवंटन राशि है तो महोदय, इसमें माननीय मंत्री जी का कहना है कि योजना का नाम स्पष्ट नहीं है, इनका यह उत्तर गलत है । महोदय, हम एक छोटा-सा उदाहरण देते हैं कि इनके विभाग के द्वारा, अध्यक्ष महोदय को भी हमलोग पत्र दिये हैं, इनका देखिये महोदय, इसमें पानी की निकासी नहीं हुई और 45 प्रतिशत खर्चा का इन्होंने आंकड़ा दिया है । महोदय, इसमें देखा जाय कि बिजली कनेक्शन प्रश्न आने के बाद लिया गया, पानी की उड़ाही उसके बाद शुरू हुई है और इन्होंने कहा है कि चार माह पूर्व ही 45 प्रतिशत राशि खर्च कर दी गई है । महोदय, इस योजना में भी देखा जाय, इस योजना का नाम कॉलम 16 पर अंकित है कि 'किसानों के

हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना' का कार्यान्वयन, तो महोदय, उत्तर इस तरह से गलत आना यह सदन की अवमानना है । हम आसन से अनुरोध करते हैं कि इन तमाम मामले को अपने स्तर से देख ले, इस तरह से सदन में प्रश्न का उत्तर आता है, महोदय, यह सदन की अवमानना है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब मंत्री जी का जवाब सुनिये । माननीय मंत्री जी ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न का जवाब है, 'हर खेत तक सिंचाई का पानी' सरकार की महत्वकांक्षी योजना है लेकिन कोई भी योजना अगर दरभंगा में ऐसी है तो उस योजना का पर्टीकुलर नाम होता है, उसके बारे में वर्णन किया जाना चाहिए था । यहां पर कोई योजना का नाम नहीं है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जिस 17 लाख 81 हजार की योजना के बारे में बोल रहे हैं तो ऐसी कोई योजना नहीं है । अगर कोई ऐसी योजना है तो योजना का नाम बताया जाय, निश्चित तौर पर कार्रवाई की जायेगी, अगर ऐसी बात होगी ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, इन्हीं का विभागीय पत्र है, हम भेज देते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी को आप उपलब्ध करा दीजिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मंत्री जी को क्या उपलब्ध करा देंगे, मंत्री जी को तो प्रश्न के माध्यम से उपलब्ध हुआ है और इन्होंने कहा है कि योजना का नाम नहीं है। हम कह रहे हैं कि इन्हीं का जो विभागीय पत्र है, आवंटन की राशि जो इन्होंने दी है । देखिये, कॉलम 16 पर दरभंगा में कि किसानों के हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है । महोदय, तमाम मामलों को आसन देख ले मेरा यही अनुरोध है ।

अध्यक्ष : आसन सब चीज को कितना देखेगा ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सदन में जब उत्तर गलत आयेगा और एक .....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप इसको गंभीरता से लेकर माननीय सदस्य को अवगत करवाइये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, नहीं । इसको आसन स्वयं देख ले, हम आसन को पत्र भी दिये हैं कि इस तरह से विभाग का उत्तर गलत आ रहा है....

अध्यक्ष : आपका पत्र विभाग को भेजा गया है । माननीय मंत्री जी ।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी, इनके पत्र को विभाग में भेजा गया है । इनके पत्र की जाँच करा कर कार्रवाई से आसन को अवगत करा दीजिये ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : जी, महोदय ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, कार्रवाई नहीं । इसको आसन देख ले ।

अध्यक्ष : अब हो गया । श्री रामवृक्ष सदा ।

(व्यवधान)

ये अवगत करायेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आसन से हमलोग क्यों अनुरोध करते हैं ?

अध्यक्ष : अवगत करायेंगे, तभी तो हम देखेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सदन में अनेकों प्रश्न के उत्तर गलत आ रहे हैं तो यह सदन की अवमानना है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी अपने स्तर से गंभीरता से उसकी समीक्षा कर लेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आप देख लीजिये, यदि विभाग का उत्तर सही है तो हमलोगों को कुछ नहीं कहना है । महोदय, केवल आसन देख ले ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री रामवृक्ष सदा ।

तारांकित प्रश्न संख्या - 3563 (श्री रामवृक्ष सदा, क्षेत्र संख्या-148, अलौली (अ०जा०))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : नहीं हैं ।

(व्यवधान)

आपके पास रखा हुआ है तो हम कैसे जानेंगे । श्री गोपाल रविदास ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 'क'-3564 (श्री गोपाल रविदास, क्षेत्र संख्या-188, फुलवारी (अ०जा०))

श्री जयंत राज, मंत्री (लिखित उत्तर) : अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन ग्राम पलंगा को शीर्ष एस०सी०पी० अंतर्गत निर्मित ''पक्का रोड से पलंगा तक पथ'' जिसकी लम्बाई 0.48 कि0मी0 है, से सम्पर्कता प्राप्त है । पलंगा ग्राम का एकमात्र टोला पलंगा मुसहरी है । पलंगा मुसहरी टोला को एस०सी०पी० योजनांतर्गत निर्मित ''बगड़ा मेन रोड से पलंगा मुसहरी तक पथ'' जिसकी लम्बाई 0.36 कि0मी0 है, से सम्पर्कता प्राप्त है ।

प्रश्न में उल्लेखित देवकनी (देवकुली) को 3054 अंतर्गत मरम्मति किया गया, कल्याणपुर के०डी०आर० पथ से देवकुली भाया टिकैतचक पथ से सम्पर्कता प्रदत्त है । देवकुली ग्राम के टोला को सम्पर्कता देने हेतु आंतरिक पथ के निर्माण हेतु सात निश्चय योजना अंतर्गत कार्यकारी विभाग पंचायती राज विभाग है । इस

अंश का उत्तर पंचायती राज विभाग से अपेक्षित है । प्रश्न के इस अंश को पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, इसे पंचायती राज विभाग को स्थानांतरित किया गया है । मेरा कहना यह है कि सरकार की एक गांव को दूसरे गांव से सुलभ सड़क से जोड़ने की योजना भी है तो बहुत से फुलवारी विधान सभा में, पुनपुन और फुलवारी में खासतौर से महादलितों की बस्ती है जो एक गांव से दूसरा गांव सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक क्या है ?

श्री गोपाल रविदास : महोदय, मेरा कहना है कि सरकार जब ट्रांसफर कर रही है पंचायती राज विभाग में, तब सरकार बनवा दे, यही है ।

अध्यक्ष : सलाह है ।

श्री गोपाल रविदास : जी, महोदय । इसको बनवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री अजीत कुमार सिंह ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3565 (श्री अजीत कुमार सिंह, क्षेत्र संख्या-201, डुमराँव)

श्री नितिन नवीन, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- स्वीकारात्मक है ।

2- बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 के नियम 3 के अनुसार जिले के प्रत्येक ग्राम कचहरी अथवा उसकी न्यायपीठ को सहायता करने के लिए एक न्यायमित्र की संविदा पर नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है ।

उक्त नियम 6(6) के प्रावधानों के अनुसार ग्राम कचहरी स्तर पर ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियोजन हेतु तैयार पैनल का अनुमोदन निम्न गठित समिति द्वारा किया जायेगा :-

(1)	ग्राम कचहरी के सरपंच	अध्यक्ष
(2)	ग्राम कचहरी के अन्य सभी पंच	सदस्य
(3)	ग्राम कचहरी सचिव	सदस्य सचिव

समिति की बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी नामित नोडल पदाधिकारी को फैसिलिटेटर के रूप में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे ।

नियम 8(2) के अनुसार ग्राम कचहरी की कार्यावधि पूर्ण होने के साथ न्यायमित्र के पद पर संविदा पर नियोजित अभ्यर्थी की संविदा स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

3- वस्तुस्थिति उपर्युक्त खंड में स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिये ।

टर्न-4/संगीता/30.03.2022

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्षमा चाहते हैं । यह है कि मुझे तो जवाब पढ़कर, हम क्या कहें रोज ही कह रहे हैं, हमने सवाल पूछा है न्याय सचिवों के बारे में जो ग्राम कचहरी सचिव होते हैं और जवाब दिया गया है न्याय मित्र की बहाली के बारे में । क्या पंचायती राज विभाग को या माननीय मंत्री जी को न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव के बीच का अंतर पता है कि नहीं पता है ? मेरा पहला पूरक तो यही है पहले इसका जवाब दे दें तो फिर मैं दूसरा पूरक भी पूछूंगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने विषय रखा है ग्राम पंचायतों, ग्राम कचहरियों के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में शामिल करने से जिससे इन पंचायतों और कचहरियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो उसी में जो उन्होंने कहा है कि ग्राम कचहरी के जो सेवक हैं तो इसके लिए पहले जो अध्यक्ष, सदस्य और सचिव होते थे तो ग्राम सचिव के बारे में इन्होंने कहा है और न्याय सचिव के बारे में इन्होंने कहा है तो उसी के बारे में यह है कि जबसे यह नगर परिषद और नगर पंचायत में आ गया है तब से इनको अब इसके नए विषय को लेकर जब ग्राम कचहरी की कार्य अवधि समाप्त हो गई है तो न्याय मित्र का पद जो है वह अब नहीं रह गया है तो इसीलिए मैंने इस बात का उत्तर दिया है ।

श्री अजीत कुमार सिंह : हुजूर, मेरा पूरक मंत्री जी नहीं समझ पाए । मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या न्याय मित्र और न्याय सचिव में अंतर है कि नहीं है ? मैंने पूछा है न्याय सचिवों के बारे में । मैंने पूछा है कि नगर निगम में जो नया विस्तार हुआ है उसमें जो पंचायतें खत्म हुई हैं उन पंचायतों के ग्राम कचहरी के जो सचिव नियुक्त हुए थे, उन सचिवों की पुनर्बहाली करने का विचार सरकार रखती है कि नहीं रखती है हालांकि न्याय मित्रों का भी सवाल है और विकास मित्रों का भी सवाल है लेकिन न्याय मित्र इसमें से निकाल दिया गया मैंने वह भी पूछा था लेकिन न्याय सचिव सवाल पढ़िए, ग्राम कचहरी सचिव के बारे में मैंने पूछा है और आपने न्याय मित्र का जवाब दिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि विभाग को न्याय मित्र और न्याय सचिवों के बीच अंतर मालूम है कि नहीं है मेरा पहला पूरक है दूसरा तो मैं इसके बाद पूछूंगा ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : नहीं, नहीं न्याय सचिव और न्याय मित्र के विषय को उन्होंने अलग-अलग परिभाषित किया है, जिस विषय को उन्होंने उठाया है मैंने उसी विषय पर जवाब दिया है कि अब उसकी प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है अब दुबारा इस विषय पर, जो शहरी क्षेत्र होने के कारण जो पंचायती व्यवस्था में थी अब शहरी क्षेत्र होने के कारण अब इसमें न्याय मित्र की बहाली नहीं हो रही है अब इसकी संविदा रद्द कर दी गई है ।

श्री अजीत कुमार सिंह : नहीं, नहीं महोदय, यह तो बहुत आश्चर्यजनक है, उत्तर मुद्रित है और सभी सदस्य उत्तर पढ़ सकते हैं । हमने पूछा ग्राम कचहरी सचिव के बारे में और पूरा डिटेल दिया गया है न्याय मित्र के बारे में । यह इतनी बड़ी गलती यह तो मेरा पहला ही पूरक है...

श्री नितिन नवीन, मंत्री : ठीक है, उसको हम दिखवा लेते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप इसको दिखवा लें...

श्री नितिन नवीन, मंत्री : माननीय सदस्य जिस शब्द के अंतर की बात कर रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री अजीत कुमार सिंह : इसका जवाब दें महोदय, इसका जवाब देना चाहिए । इतनी बड़ी गलती...

श्री नितिन नवीन, मंत्री : मैंने अध्यक्ष महोदय...

श्री अजीत कुमार सिंह : इतनी बड़ी गलती है और महोदय, एक सेकेंड महोदय...

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं शब्द का अंतर जरूर है...

श्री अजीत कुमार सिंह : मैं यह कह रहा हूं महोदय...

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, मंत्री जी जब खड़े हैं तो आप बैठ जाइये अजीत जी, बैठिए, मंत्री जी खड़े हैं जवाब दे रहे हैं ।

श्री अजीत कुमार सिंह : ठीक है ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने उनको यही कहा कि शब्द का अंतर जरूर है पर जिस विषय की बात उन्होंने कही थी मैंने कहा कि वह निविदा समाप्त कर दी गई है चूंकि अब वह नगर निगम में आ गया है । उन्होंने सही कहा कि जो न्याय मित्र और न्याय सचिव का अंतर है, वह अंतर है वह बात मैं कह रहा हूं लेकिन शब्द का अंतर जरूर है लेकिन जो विषय उन्होंने उठाया मैंने उसके संदर्भ में जवाब दिया है ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अद्भुत है, हुजूर, हुजूर अद्भुत है । शब्द का अंतर किसे कहते हैं कि न्याय सचिव लिखना था न्याय मित्र लिखा गया लेकिन महोदय न्याय मित्र एडवोकेट होते हैं और न्याय सचिव एडवोकेट नहीं होते हैं । अब आप बताइये कि

शब्द का अंतर कैसे है, ये शब्द का अंतर कैसे मान लें । मतलब हमलोग इतने अनपढ़ आदमी हैं, हम पढ़ लिखकर आए हैं । अब शब्दों का ऐसा ज्ञान मत समझाइये, जवाब महोदय दिया जाय मुझे...

अध्यक्ष : इस सदन में अनपढ़ और पढ़े-लिखे का विषय नहीं है, सभी माननीय सदस्य हैं और सभी का मान बराबर है ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि बहुत भारी अंतर है न्याय मित्र में और ग्राम कचहरी सचिव में । न्याय मित्र एडवोकेट होते हैं, हम समझ गए कि इस विभाग को नहीं पता है दोनों के बारे में लेकिन अब मैं दूसरा पूरक पूछना चाहता हूं । अगर मंत्री जी ने ग्रहण कर लिया है कि गलती हुई है न्याय सचिव कहें तो मैं न्याय सचिवों के बारे में पूछ लेता हूं...

अध्यक्ष : नहीं, ठीक है । आगे तीसरा लास्ट है आपका ।

श्री अजीत कुमार सिंह : नहीं, महोदय एक ही तो पूछा हूं मैं पूरक ।

अध्यक्ष : नहीं, तीसरा है आपको पूछना है तो पूछिए ।

श्री अजीत कुमार सिंह : मैं यह पूछ रहा हूं महोदय कि सरकार ने पंचायती राज विभाग ने अखबार में यह खबर छपवाया था 19 जनवरी, 2021 को कि ग्राम कचहरी सचिवों की नौकरी 60 साल के लिए कर दी जाएगी, इस कैबिनेट में, जो कि अभी तक उसका डिसीजन नहीं हुआ । हम यह कहना चाहते हैं कि क्या सरकार जिन न्याय सचिवों को नए नगर परिषद बन जाने के बाद नौकरियां खत्म हो गईं उसको 60 साल करते हुए पुनः दूसरे पंचायतों में समायोजित करने का विचार रखती है अथवा नहीं रखती है ?

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अभी तो ऐसा कोई विचार सरकार के पास नहीं है और भविष्य में इसपर ... (व्यवधान)

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न किया गया था न्याय मित्र और न्याय सचिव के बारे में...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी पूरी जानकारी, आप देख रहे हैं...

श्री राकेश कुमार रौशन : नहीं, महोदय गलत बात कही जा रही है न महोदय, सदन को गुमराह किया जा रहा है । न्याय मित्र की जो बहाली होनी है न्याय मित्र की बहाली अधिवक्ताओं के पैनल के माध्यम से न्याय मित्र की बहाली होनी है महोदय और न्याय सचिव के लिए अर्हता रखा गया था कि इंटरमीडिएट स्तर तक जो योग्यता रखते हैं उनको न्याय सचिव बनाया जाएगा तो न्याय मित्र और न्याय सचिव दोनों दो पद हैं महोदय..

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री राकेश कुमार रौशन : नहीं, महोदय मैं जो पूछना चाह रहा हूं महोदय तो न्याय सचिव जो हैं उनको हटाने के बाद सरकार ने यह घोषणा की थी कि उनका समायोजन किया जाएगा किसी दूसरे विभाग में, जब उनको हटाया जाता है तो क्या सरकार न्याय सचिवों का समायोजन दूसरे विभाग में करना चाहती है या नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : नहीं, अभी माननीय अध्यक्ष जी...

अध्यक्ष : जानकारी प्राप्त करके आप बता देंगे ।

श्री मोहम्मद आफाक आलम ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3566 (मो0 आफाक आलम, क्षेत्र संख्या-58, कसबा)

श्री जयंत राज, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 3.490 कि0मी0 है । पथ का प्राक्कलन नई अनुरक्षण नीति अन्तर्गत एन0एच0 28 से दादर कोल्हुआ नाम से तैयार किया गया है, जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर मरम्मती कार्य कराया जा सकेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, आप पूरक पूछिए ।

मो0 आफाक आलम : सर, उत्तर में तो है कि उसका कार्य कराया जायेगा...

अध्यक्ष : उत्तर देख लिए हैं..

श्री मो0 आफाक आलम : जी, कब तक कराया जायेगा...

अध्यक्ष : नहीं देखे हैं तो पढ़वा देते हैं ।

श्री मो0 आफाक आलम : नहीं, नहीं कब तक कराया जायेगा चूंकि रोड...

अध्यक्ष : कब तक, माननीय मंत्री जी, ग्रामीण कार्य विभाग ?

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब में स्पष्ट हमने दिया है कि स्वीकृति की प्रक्रिया में है निधि की उपलब्धता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर हमलोग इसको करा देंगे ।

अध्यक्ष : प्राथमिकता के आधार पर ।

श्री चंद्रशेखर ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3567 (श्री चन्द्रशेखर, क्षेत्र संख्या-73, मधेपुरा)

श्री चंद्रशेखर : महोदय, इसका जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग जवाब पढ़ें ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत गम्हरिया प्रखंड के तरावे चाप में जल जमाव की स्थिति है । उक्त चाप से वर्षा अवधि में आंशिक रूप से रैयती भूमि के माध्यम से सतही बहाव द्वारा मठाही धार, जो तरावे चाप से लगभग 16.00 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है, से जल निकासी होता है । बर्षा अवधि में मधेपुरा जिलान्तर्गत मधेपुरा प्रखंड के मुरहो चाप में जल जमाव की स्थिति रहती है । वर्तमान में प्रश्नगत स्थल के अधिकांश भू-भाग में गेहूं की फसल लगी हुई है । मुरहो चाप से लगभग 700 मीटर की दूरी पर पस्तपार धार बहती है । प्रश्नगत स्थलों से जल निकासी हेतु विस्तृत सर्वेक्षणोपरान्त फिजिबिलिटी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, वीरपुर को विभागीय पत्रांक 1280 दिनांक 29 मार्च, 2022 से निदेशित किया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, माननीय मंत्री जी एक जगह का जिक्र किए हैं, प्रखंड में एक जगह नहीं गम्हरिया प्रखंड के ही तरावे का मामला तो माननीय मंत्री जी ने पढ़ दिया, गम्हरिया प्रखंड में ही औराई एकपरहा पंचायत, बभनी पंचायत में हजारों एकड़ फसल नहर में पानी नहीं जाने के कारण ये बरसात के समय वॉटर लॉगिंग होता है, धान की फसल बर्बाद हो जाती है । मधेपुरा में मुरहो जो वी0पी0 मंडल के गांव, जिसका जिक्र किए हैं, शकरपुरा में भी यही हाल है । मेरा यह अनुरोध होगा माननीय मंत्री जी से कि आप सर्वेक्षण करा रहे हैं तो शकरपुरा, चंदनपट्टी और घैलार प्रखंड का अतिरिक्त जोड़ रहा हूं घैलार प्रखंड का परमानपुर गांव भी जरूर जुड़वा देंगे, धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राकेश कुमार रौशन ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-3568 (श्री राकेश कुमार रौशन, क्षेत्र संख्या-174, इस्लामपुर)</u>

श्री नितिन नवीन, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- स्वीकारात्मक ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 639 दिनांक 26.03.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जमीन स्तर तक पाईल का कार्य किया गया है । ग्रामीण जनता से प्राप्त आपत्ति आवेदन के आलोक में प्रतिवेदन प्राप्त होने तक कार्य स्थगित था ।

3- साथ ही जिला पदाधिकारी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि वरीय प्रभारी पदाधिकारी, एकंगरसराय-सह-अनुमण्डलीय लोक शिकायत

निवारण पदाधिकारी, हिलसा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा उसमें उन्होंने बताया है...

(क्रमशः)

टर्न-5/सुरज/30.03.2022

...क्रमशः...

श्री राकेश कुमार रौशन : एकंगरडीह पंचायत के पंचायत भवन के निर्माण के संबंध में हमने प्रश्न किया था और लगभग एक वर्ष से वहां पर काम थोड़ा सा प्रारंभ होने के बाद फिर काम जो है बंद पड़ा हुआ है तो महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि कार्य हम शीघ्र प्रारंभ करा देंगे...

अध्यक्ष : सकारात्मक जवाब है ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि शीघ्र का मतलब क्या है, कब तक करवाएंगे, शीघ्रता का मतलब क्या है समझा दें ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री राकेश कुमार रौशन : एक साल से बंद है महोदय ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, 2022-23 में इस योजना को पूर्ण कर लिया जायेगा और करीब एक करोड़ की राशि की योजना है तो हमलोग इसको यथाशीघ्र पूर्ण करा लेंगे ।

अध्यक्ष : यथाशीघ्र ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, यथाशीघ्र का मतलब क्या है यही तो जानना चाह रहे हैं ?

अध्यक्ष : शीघ्र से भी ज्यादा ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, एक समय-सीमा बताया जाय, चूंकि पहले से वहां पर एक साल से बंद पड़ा है भवन का निर्माण ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, आपका संरक्षण चाहिये ।

अध्यक्ष : यथाशीघ्र बोल दिये हैं, बात कर लीजियेगा मंत्री जी से ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-3569 (श्री बागी कुमार वर्मा, क्षेत्र संख्या-215, कुर्था)</u>

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- स्वीकारात्मक ।

2- योजना का सर्वेक्षण कराया जाएगा । सर्वेक्षणोपरान्त योजना तकनीकी दृष्टिकोण से संभाव्य पाये जाने पर विभागीय प्राथमिकता एवं निधि उपलब्धता के आधार पर विहित प्रक्रिया के तहत कार्य कराया जाएगा ।

अध्यक्ष : श्री बागी कुमार वर्मा जी का है , प्राधिकृत हैं श्री मनोज मंजिल ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि सर्वेक्षण कराया जायेगा गोकुलपुर से जो सचई आहर है तकरीबन दो किलोमीटर की दूरी है और पानी भरा रहता है आने-जाने में, किसानों का एक तो ट्रैक्टर नहीं जा पाता है । धान, गेहूं, रबी फसल तैयार होते हैं तो ढ़ोने में दिक्कत होती है तो सर्वेक्षण कराया जायेगा जवाब है । तो सर्वेक्षण कब तक करवाया जायेगा और दो दिन बाद जो आगामी वित्तीय वर्ष है क्या सर्वेक्षण कराकर के इसी साल आर0सी0सी0 पुलिया बनाने का सरकार विचार रखती है या नहीं रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना को करा लिया जायेगा ।

श्री मनोज मंजिल : धन्यवाद महोदय ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-3570 (श्री विजय कुमार, क्षेत्र संख्या-169, शेखपुरा)</u>

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है :-

(1) शेखपुरा-सिकन्दरा पथ से ग्राम बेलखुंडी जाने वाली पथ-उक्त पथ की मरम्मति हेतु प्राक्कलन बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत प्राप्त है । निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव होगा ।

(2) शेखपुरा सिकन्दरा पथ से करंडे होते हुए नारायणपुर गांव तक पथ-उक्त पथ की मरम्मति हेतु प्राक्कलन बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत तैयार कराया जा रहा है । निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार का है, प्राधिकृत हैं श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही पूरक है । मंत्री जी ने स्वीकार किया कि आवश्यकता है और 2018 के अंतर्गत, केवल निधि की उपलब्धता के आधार पर कहा गया है । अगले वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखते हैं ?

श्री जयंत राज, मंत्री : महोदय, एक का तो डी0पी0आर0 आ गया है उसको तो हमलोग अगले वित्तीय वर्ष में करा ही देंगे और दोनों का प्रयास करेंगे कि हमलोग करा दें ।

अध्यक्ष : प्रयास करेंगे ।

श्री प्रहलाद यादव : महोदय, मंत्री जी बराबर एक बात जरूर बोलते हैं कि निधि की उपलब्धता। क्या बिहार सरकार के पास ग्रामीण विभाग में कोई पैसा नहीं है ? अगर नहीं है तो वैसा जवाब दे दीजिये कि पैसा नहीं है ।

अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न ले आइयेगा । माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3571 (श्री ललित कुमार यादव, क्षेत्र संख्या-82, दरभंगा ग्रामीण)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, उत्तर नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य के अंतर्गत बाढ़ प्रबंधन योजना के अन्तर्गत कुल 23 कार्य प्रमंडलों में माह नवम्बर, 2020 तक राशि रु0 284.29 करोड़ आवंटित किया गया था । उक्त 23 प्रमंडलों में से प्रश्नगत दो प्रमंडलों जिसके अन्तर्गत भूतही बलान के बायां तटबंध के कि0मी0 25.00 से 31.61 कि0मी0 तक विस्तारीकरण एवं कमला बलान बायां तटबंध के कुल एक स्थल पर टूटान भराई कार्य हेतु रु0 7.78 करोड़ बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-1, झंझारपुर को आवंटित किया गया था । बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-2, झंझारपुर को कमला बलान दांया तटबंध के कुल सात स्थलों पर टूटान भराई कार्य हेतु रु0 53.28 करोड़ आवंटित किया गया था ।

वर्ष 2019 में कमला बलान के बायां तटबंध के 1. कि0मी0 7.38 (ग्राम-टेरहा) 2. कि0मी0 36.60 (ग्राम-रखवारी) तथा दायां तटबंध के 3. कि0मी0 40.60 (ग्राम-गोपलखा), 4. कि0मी0 47.30 (ग्राम-नरूआर), 5. कि0मी0 55.80 (ग्राम-कैथवार), 6. कि0मी0 57.50 (ग्राम-ककोढ़ा), 7. कि0मी0 71.40 (ग्राम-कुमरौल) तथा 8. कि0मी0 79.60 (ग्राम-मनसार) का टूटान में मिट्टी भराई, सुरक्षात्मक कार्य, स्टील शीट पाईल का उपयोग कर कार्य बाढ़ 2020 पूर्व करा लिया गया है तथा बिहार में पहली बार तटबंध के मध्य में स्टील शीट पाईल लगाया गया जिससे तटबंध को अतिरिक्त मजबूती मिली है ।

कार्य के दौरान कटाव निरोधक समिति के अध्यक्ष, उड़नदस्ता जांच दल, गुण नियंत्रण प्रमंडल आदि द्वारा उक्त वर्णित कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण किया गया था । बाढ़ 2020 के पूर्व राज्य में कराये गये सभी कटाव निरोधक कार्य बाढ़ अवधि 2020 में सुरक्षित रहे । साथ ही कार्यों की गुणवत्ता की जांच उड़नदस्ता दल के द्वारा करायी गयी है एवं तदनुसार नियमानुसार ही भुगतान किया गया है ।

वर्तमान में भूतही बलान बायां तटबंध का निर्माण में मिट्टी कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है एवं स्लुईस गेटों का निर्माण बाढ़ 2022 के पूर्व पूर्ण करा लिया जायेगा । इस प्रकार कराया गया सभी कार्य सुरक्षित है एवं कोई भी व्यय निष्फल नहीं हुआ है ।

3- उपर्युक्त खंडों में वर्णित ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब बहुत विस्तृत था । हम इतना ही जानना चाहते हैं मंत्री जी से जो आप कह रहे हैं कि हम जांच करा लिये हैं और कार्य गुणवत्ता पूर्ण हुआ है, काम भी हुआ है । महोदय, हम माननीय मंत्री जी से इतना ही अनुरोध करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इसको गैर विभागीय किसी भी समिति से जांच कराना चाहते हैं । यदि मंत्री जी का यह बहुत दावा है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण हुआ है, निष्फल व्यय नहीं हुआ है । हम माननीय मंत्री जी को बताना चाहते हैं कि बहुत सारे जगह कार्य हमलोगों के क्षेत्र से सटा हुआ है, हम क्षेत्र भ्रमण के क्रम में देखे हैं कि काम की गुणवत्ता के साथ-साथ राशि की अवैध निकासी की गई है बिना कार्य का । तो माननीय मंत्री जी गैर विभागीय समिति अपने विभाग छोड़कर किसी एजेंसी से आप जांच कराना चाहते हैं ?

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक जगह बतायेंगे कि अनियमितता हुई है, पैसा निकला है, काम की गुणवत्ता में प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से हम जांच करा देंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय प्रश्न में...

अध्यक्ष : आप स्पष्ट बताइये भेग में जांच नहीं न होगी ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, प्रश्न में उद्धृत है...

अध्यक्ष : मंत्री जी कह रहे हैं कि हम जांच करवा देंगे, कोई स्पेसिफिक बताइये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मंत्री जी योजना का नाम भी बताए हैं उसी योजना का जो ये उत्तर में दिये हैं सदन में । उसी योजना का मंत्री जी अपने विभाग को छोड़कर किसी एजेंसी से जांच कराना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : उन्होंने तो कहा है कि आप दीजिये डिटेल, हम दिखवा लेते हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय वही कह रहे हैं...

अध्यक्ष : श्री जितेंद्र कुमार ।

श्री ललित कुमार यादव : नहीं महोदय । मंत्री जी को हम कहां कह रहे हैं...

अध्यक्ष : आप डिटेल एक लिखकर के दे दीजिये मंत्री जी को ।

श्री ललित कुमार यादव : हम मंत्री जी को यही कह रहे हैं कि गैर विभागीय अपने विभाग को छोड़ के किसी भी एजेंसी से आप जांच कराना चाहते हैं ? बस एक लाईन का प्रश्न है ।

अध्यक्ष : उन्होंने साफ कहा कि आप लिखकर दे दीजिये...

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हम कह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी प्रश्न के आलोक में जो उत्तर दिये हैं उसी की जांच किसी गैर विभागीय समिति से कराना चाहते हैं ? किसी से करा दें, इनको जिन पर विश्वास हो । मंत्री जी को जिस पर विश्वास हो।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि स्पेसिफिक जिस प्वांइट पर इनको लगता है कि गड़बड़ी हुई है पूरे एरिया में, मैं तो नाम बताया हूं स्टील शीट पाईल का काम पहली बार उसी एरिया में हुआ है, कहीं बिहार में नहीं हुआ है । वहां करीब-करीब 22 करोड़ 67 लाख का जो वहां कभी नहीं टूटे, पूरे एरिया में हुआ है । अगर माननीय सदस्य को कोई भी जानकारी है तो मैं बिल्कुल जांच करवा दूंगा लेकिन स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि यह जगह, इस योजना में है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, उत्तर में भी...

अध्यक्ष : यह कह रहे हैं कि जांच करवा देंगे । अब विषय हो गया है, अब लास्ट हो रहा है।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, किसी से जांच करवा दें...

अध्यक्ष : कह तो रहे हैं कि जांच करवा देंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : इनको जिस पर विश्वास है, सरकार में हैं । बहुत पावरफुल आदमी हैं जिसको जांच करने को कहेंगे इनके मनोनुकूल करेगा । किसी से जांच करा दें...

अध्यक्ष : कह तो दिये हैं कि जांच करवा देंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : हम कह रहे हैं माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है...

अध्यक्ष : जितेंद्र कुमार जी पूरक पूछिये ।

श्री ललित कुमार यादव : नहीं महोदय, विभाग जो जवाब देता है और विभागीय जवाब क्या है हमलोग नहीं बोलना चाहते हैं प्रश्नकाल है उतना समय नहीं है । कोई एक जगह का मंत्री जी हम कह रहे हैं अपने प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिये हैं...

अध्यक्ष : मंत्री जी ने कहा है कि जांच करवा देंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : किससे जांच करवा देंगे यही बता दें । माननीय मंत्री जी अपने विभाग को छोड़ के जिससे भी जांच करवा दें ? यह पावरफुल हैं...

अध्यक्ष : वरीय अधिकारी से करवा देंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : मंत्री जी सेंकेड चीफ मिनिस्टर हैं जिनको भी कहेंगे...

अध्यक्ष : अब आप उपमा अलंकार से सबको अलंकृत मत करिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, ललित बाबू जैसे पुराने सदस्य कह रहे हैं हमारे मंत्री संजय जी को कि सेकंड चीफ मिनिस्टर हैं...

अध्यक्ष : ये कई लोगों को कह चुके हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आसन भी अवगत है कि इस प्रदेश में तो एक ही मुख्यमंत्री होता है और वह नीतीश कुमार हैं । सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो मुख्यमंत्री के पद के साथ होता नहीं है तो यह किस सेकंड की बात कह रहे हैं ?

श्री ललित कुमार यादव : आपका नंबर पीछे आ गया है ।

टर्न-6/राहुल/30.03.2022

अध्यक्ष : भाषा से ज्यादा भाव समझा जाय ।

तारांकित प्रश्न सं0-3572(श्री जितेंद्र कुमार, क्षेत्र सं0-171,अस्थावॉ)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1- वस्तुस्थिति यह है कि धनाईन नदी नालन्दा जिला के सरमेरा प्रखंड के ग्राम धनावाडीह से निकलकर पटना जिले के घोसवरी प्रखंड के ग्राम त्रिमुहान में हरोहर नदी में मिल जाती है । यह नदी टाल क्षेत्र में अवस्थित है ।

2- स्वीकारात्मक है । यह कार्य नदी में सिंचाई हेतु जल संचयन के लिए किया गया था ।

3- टाल क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण जल का फैलाव स्वभाविक है।

4- टाल क्षेत्र की नदियों की उड़ाही का प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है बल्कि टाल क्षेत्र के समेकित विकास हेतु 1178.50 करोड़ की लागत से योजना कार्यान्वित की जा रही है जिससे इस इलाके में बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई प्रबंधन में काफी सहायता मिलेगी और इसी साल इस पर काम शुरू हो जाएगा ।

श्री जितेंद्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमने पूछा है कि नदियों की जो उड़ाही हुई है वह आधी हुई है हमने मांग की है कि हेड टू टेल, या टॉप टू बोटम हो जाय । आधी नदी उड़ाही होने से कोई लाभ नहीं होता है, बाढ़ के दिनों में पानी का फैलाव हो जाता है । महोदय, हमने कहा कि राज्यसरकार की राशि खर्च हुई है तो क्यों नहीं टॉप टू बोटम नदियों की उड़ाही की जा सकती है ?

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, मैंने अपने जवाब में कहा कि टाल योजना पूरी की पूरी इंप्लीमेंट हो रही है उसमें यह भी है कि इस काम को कर लिया जायेगा ।

श्री जितेंद्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, अस्थावां विधान सभा के अन्तर्गत जीराईन नदी, कुम्हरी नदी, नोनिया नदी, सोयबा नदी सभी नदियों की उड़ाही जो हुई है किसी नदी का

11 किलोमीटर, शेष भाग छूटा हुआ है 6 किलोमीटर । किसी नदी की उड़ाही हुई है तो 12 किलोमीटर छूटा हुआ है, किसी का 22 किलोमीटर छूटा हुआ है किसी का 25 किलोमीटर छूआ हुआ है, 31 किलोमीटर हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में जो राशि खर्च हुई उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है । महोदय, हम पूछना चाहते हैं ये जितनी भी नदियां हैं जीराईन नदी, कुम्हरी नदी, नोनिया नदी, सोयबा नदी इन चारों नदियों की पूरी उड़ाही करना चाहती है सरकार, टॉप टू बोटम जिससे की समाधान हो जाये जो बाढ़ की समस्या है और जल संचय भी होगा यह पूछना चाहता हूं ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि किसानों की डिमांड रहती है और फेज वाइज ही काम होता है पूरा लेंथ में तो होता नहीं है और अभी मैंने बताया टाल योजना हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं इससे इसका निदान हो जाएगा और...

अध्यक्ष : टाल योजना लगभग 1100 करोड़ की है न ?

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : 1178 करोड़ ।

अध्यक्ष : 1178 करोड़ की है उसमें उसमें आपके ये सब विषय आ रहे हैं ।

श्री जितेंद्र कुमार : इसके अलावा महोदय, जो टाल क्षेत्र में नहीं है उन नदियों की उड़ाही करना चाहती है सरकार, जो शेष भाग बचा हुआ है ?

अध्यक्ष : बता तो दिये कि वह परियोजना चल रही है और पहले भी इसको प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति में दिया हुआ है बहुत गंभीरता के साथ ये ले रहे हैं ।

श्री जितेंद्र कुमार : महोदय, अरबों रुपया खर्च हुआ है लेकिन थोड़ी-सी राशि के कारण उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है कुम्हरी, सोयबा, नोनिया...

अध्यक्ष : अब गंभीरता से इसको भी ले लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3573 (श्री प्रणव कुमार, क्षेत्र संख्या-165, मुंगेर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-3574 (श्री संजय सरावगी, क्षेत्र संख्या-83, दरभंगा)

श्री नितिन नवीन, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार के सात निश्चय योजना के अंतर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-996, दिनांक-15.05.2018 के द्वारा लखीसराय जिला में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लखीसराय की स्थापना की गई है एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1704, दिनांक-23.07.2018 के द्वारा लखीसराय अंचल के मौजा-सलौनाचक में कुल-2.75 एकड़ चिन्हित भूमि पर महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लखीसराय के भवन निर्माण हेतु कुल राशि

रूपये 1657.00 लाख (सोलह करोड़ संतावन लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

भवन निर्माण विभाग के पत्र संख्या-4718 (भ0) दिनांक-23.05.2019 द्वारा उक्त चिन्हित भूमि के अनुपयुक्त एवं विवादित होने के कारण महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लखीसराय के लिए आवंटित स्थल के स्थान पर तकनीकी रूप से उपयुक्त एवं अविवादित स्थल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया । तत्पश्चात् निदेशालय के पत्रांक-1306, दिनांक-31.07.2020 द्वारा भवन निर्माण विभाग से श्री रामाश्रय गोशाला, बड़हिया की मौजा-पंचमहला, थाना नं0-14, खाता नं0-292, खेसरा नं0-101, कुल रकवा कुल 2.64 एकड़ भूमि पर महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लखीसराय के भवन निर्माण हेतु अनुरोध किया गया । तदोपरांत भवन निर्माण विभाग के पत्र संख्या-5196, दिनांक-07.09.2020 द्वारा मौजा पंचमहला में प्रस्तावित स्थल पर सीमांकन करने के क्रम में अंचलाधिकारी, बड़हिया के द्वारा उक्त भूमि मोकामा अंचल के क्षेत्राधिकार एवं पटना जिलांतर्गत होने सूचित किये जाने के संदर्भ में प्रतिवेदित करते हुए चयनित स्थल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु संबंधित को निदेशित करने का अनुरोध किया गया है। जिसके आलोक में विभागीय पत्र संख्या-4779, दिनांक-10.12.2021 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लखीसराय के निर्माण हेतु उपर्युक्त वर्णित भूमि के संदर्भ में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु आवश्यक कारवाई किये जाने का अनुरोध किया गया ।

वर्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-146(6)/रा0, दिनांक-11.02.2022 द्वारा समाहर्त्ता, पटना को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण, लखीसराय के निर्माण हेतु पटना जिलांतर्गत उक्त अधियाचित भूमि को लखीसराय जिला को नियमानुसार हस्तांतरण का प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। समाहर्त्ता, पटना के द्वारा उक्त भूमि को लखीसराय जिला को नियमानुसार हस्तांतरण का प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने के पश्चात संबंधित मामले में अग्रेतर कारवाई की जा सकेगी ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, विभाग का बहुत विस्तृत जवाब आया है । वह तो आपने व्यवस्था कर दी नहीं तो पढ़ना रहता तो 15-20 मिनट इसको पढ़ने में ही विभाग को लग जाती । माननीय मंत्री जी ने इसमें कंक्लूजन में यह कहा है जो महिला आई0टी0आई0 का मामला है कि समाहर्ता, पटना के द्वारा उक्त भूमि को लखीसराय

जिला को नियमानुसार हस्तांतरण का प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने के पश्चात संबंधित मामले में अग्रेतर कारवाई की जा सकेगी...

अध्यक्ष : ठीक है सकारात्मक जवाब है ।

श्री संजय सरावगी : नहीं-नहीं, मैं बता देता हूं । महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जिस पत्र के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि उप निदेशक, राजस्व शाखा, पटना प्रमंडल ने अपने पत्रांक-224, दिनांक-26.03.2022 को संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेज दिया गया है और माननीय मंत्री जी कहे हैं कि भेज देंगे तो मैं करवा दूंगा, इसको तो भेज दिया गया है तो क्या इसको जल्द-से-जल्द करवा देंगे, यह मैं पूछना चाह रहा हूं ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, अभी मैंने उत्तर यह दिया है कि पटना जिले को हस्तांतरण के लिए...

अध्यक्ष : पूरक बड़ा साफ पूछे हैं आप इसको जल्द से जल्द दिखवा के करवा दें ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : ठीक है ।

अध्यक्ष : माननीय, मंत्री जी आप इसको गंभीरता से लेकर के दिखवा लीजिये ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-3575 (श्री कृष्णनंदन पासवान, क्षेत्र संख्या-13, हरसिद्धि)</u>

श्री कृष्णनंदन पासवान : महोदय, उत्तर अप्राप्त है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : महोदय,...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आज आपके विभाग ने उत्तर नहीं भेजा है आप सेक्रेटरी को बुलाकर इसकी समीक्षा करें ।

श्री जयंत राज, मंत्री : एक बार दिखवा लीजिये उत्तर लास्ट समय में...

अध्यक्ष : नहीं देखिये आज भी कई विभागों का, श्रम संसाधन विभाग शत प्रतिशत, भवन निर्माण विभाग शत प्रतिशत, पथ निर्माण विभाग शत प्रतिशत, लघु जल संसाधन विभाग शत प्रतिशत, पंचायती राज, कई विभाग का शत प्रतिशत प्रश्नों का जवाब है...

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, जल संसाधन विभाग छूट गया ।

अध्यक्ष : वह भी लगभग में है वह भी करीब 85 परसेंट के लगभग में है इसीलिए उसको नहीं पढ़े हैं ।

श्री जयंत राज, मंत्री : 10.00 बजे से पहले अपलोड हो गया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक चीज बता देते हैं आप धन्यवाद दीजिये कि सरकार की सजगता से, हमको लगता है कि देश में बिहार पहला राज्य है जहां शत प्रतिशत प्रश्नों का जवाब आ रहा है ।

श्री ललित कुमार यादव : माननीय सदस्य भी बहुत गंभीर हैं ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : ललित बाबू हम लोगों का ख्याल रखिये, मेरा समय खत्म कर रहे हैं भाई आप ।

अध्यक्ष : लेकिन सही होगा कि विधायक की गंभीरता, सरकार की सजगता का ही यह परिणाम है।

श्री कृष्णनंदन पासवान : महोदय,...

अध्यक्ष : हां बोलिये ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : उत्तर पढ़वा दिया जाय ।

श्री जयंत राज, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 1.8 कि0मी0 है जिसमें 700 मीटर पथांश...

अध्यक्ष : वह भी आगे होते जा रहा है ।

श्री जयंत राज, मंत्री : पंचायत द्वारा निर्मित है जिसकी स्थिति संतोषजनक है एवं 100 मीटर पथांश एम0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित पथ बलुआ से मानववारी ततवा टोला का अंश है जिसकी स्थिति अच्छी है...

अध्यक्ष : आसन तो बहुत प्रश्नों को डायरेक्ट देखने लगा है । चलिये ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उपर्युक्त दोनो निर्मित पथांशों से इस पथ पर अवस्थित एकमात्र बसावट मानववारी को सम्पर्कता प्राप्त हो गयी है । अतः शेष 1.0 कि0मी0 पथांश जिसमें 700 मी0 ईटीकृत एवं 300 मी0 कच्ची है, का निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : आप उत्तर उनको उपलब्ध करवा दीजियेगा ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : महोदय, संरक्षण चाहिए । महोदय, यह जो सड़क है तीन पंचायतों से होते हुए एस0एच0-54 को जोड़ती है, गायघाट रोड तक जाती है तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जनहित में प्राथमिकता के आधार पर सड़क का निर्माण कराना चाहते हैं ?

श्री जयंत राज, मंत्री : चूंकि महोदय, उस बसावट को एकल संपर्कता मिली हुई है और 700 मीटर का पथ है तो इसको पंचायती राज विभाग बनायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब प्रश्नोत्तरकाल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय ।

अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी । कार्यस्थगन प्रस्ताव के पहले...

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये, मुकेश जी, बैठिये ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में मैं बिहार सरकार के दिनांक-31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 का निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा पर प्रतिवेदन तथा बिहार सरकार का दिनांक-31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे खंड-1 एवं 2 तथा विनियोग लेखे को महामहिम राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखता हूं ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-238 एवं 211 के उपबंध के अनुसार क्रमशः लोक-लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का दिनांक-31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 का निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा पर प्रतिवेदन तथा बिहार सरकार का दिनांक-31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे खंड-1 एवं 2 तथा विनियोग लेखे को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का दिनांक-31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 का निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन तथा बिहार सरकार का दिनांक-31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे खंड-1 एवं 2 तथा विनियोग लेखे को बिहार विधान के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''

सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टर्न–7/मुकुल/30.03.2022

अध्यक्ष : अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 30 मार्च, 2022 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

श्री अखतरूल ईमान, श्री शाहनवाज, श्री मुहम्मद इजहार असफी, श्री मोहम्मद अनजार नईमी एवं श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद ।

श्री महबूब आलम, श्री मनोज मंजिल, श्री महा नंद सिंह, श्री रणविजय साहू, श्री सत्यदेव राम, श्री राम रतन सिंह, श्री अरूण सिंह, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री सुदामा प्रसाद, श्री अजय कुमार, श्री गोपाल रविदास, श्री अजीत कुमार सिंह एवं श्री संदीप सौरभ ।

श्री अजीत शर्मा ।

आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–47 (2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जाएंगे । श्री मिथिलेश कुमार ।

(व्यवधान)

<u>शून्यकाल</u>

श्री मिथिलेश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदर अस्पताल, सीतामढ़ी में प्रायः चिकित्सक और कर्मी नहीं रहते हैं, जिससे आई0पी0डी0/ओ0पी0डी0 के मरीज घंटों इलाज के लिए तड़पते रहते हैं । इससे संबंधित खबरें समाचार पत्रों में भी छपती रहती हैं परन्तु सिविल सर्जन द्वारा अनसुनी/अनदेखी कर दी जाती है ।

अविलंब कार्रवाई की मांग करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान, श्री आनन्द शंकर सिंह, श्री शाहनवाज और श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद वेल में आ गये ।)

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी जिलों में ग्राम रक्षा दल के स्वयंसेवक सुरक्षा कार्य में पुलिस प्रशासन को सहयोग देती है । अपनी मांगों के समर्थन में विगत कई दिनों से मधुबनी समाहरणालय पर अनिश्चितकालीन धरना पर हैं । होमगार्ड की तरह मानदेय पर अस्थायी नियुक्ति करने की मांग करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जो वेल में आये हैं, मैं उनको बोलने का कभी मौका नहीं दूंगा। जो वेल में नहीं आये हैं वही बोलेंगे दो-दो लाइन ।

(व्यवधान जारी)

अखतरूल जी, आप अपनी सीट पर जाइये । महबूब जी ।

(व्यवधान जारी)

अपने स्थान पर जाइये । वेल से कोई भी बात प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा, न प्रेस मीडिया में जायेगा ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : आप सभी अपने स्थान पर जाइये । महबूब जी, आप दो लाइन में अपनी बात को स्पष्ट रूप में रखिये ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, बिहार में अपराधियों का नित्य तांडव हो रहा है । महोदय, दीपक मेहता, दानापुर की हत्या हो गई है, हम सी0बी0आई0 जांच की मांग करते हैं ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान, श्री आनन्द शंकर सिंह, श्री शाहनवाज और श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद अपने-अपने सीट पर वापस चले गये।)

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री महबूब आलम : महोदय, जगदीशपुर में बब्लू सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह जी के प्रपौत्र की हत्या हो गई है, इसकी जांच हो । माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमला हो रहा है, केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा एक स्पीच से....

अध्यक्ष : महबूब जी, ठीक है । आप बैठ जाइये, हो गया । आनन्द शंकर सिंह जी बोलिये, दो लाइन में बोलिये । महबूब जी आप बैठ जाइये ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह जी के प्रपौत्र की पुलिस की पिटाई से, पुलिस के द्वारा हत्या कर दी गई, इस पर जांच कमेटी बैठनी चाहिए और दोषी पुलिस पदाधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है, अब विषय आ गया है । एक ही विषय को, उन्होंने विषय को रख दिया, सरकार ने भी विषय को संज्ञान में ले लिया ।

(व्यवधान)

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : नहीं, आप बार-बार वेल में आ जाते हैं, आपको मौका नहीं देंगे । श्री ललन कुमार। एक माननीय सदस्य ने विषय को रख दिया है । अखतरूल ईमान जी, अगर आप वेल में आयेंगे तो आपको सदन से बाहर कर देंगे ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान वेल में आकर बैठ गये ।)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री शाहनवाज एवं श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद वेल में आ गये ।)

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर के पीरपैंती में रोहिणी चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित गोथल्स पब्लिक स्कूल, भेरमारी एवं अन्य प्राइवेट स्कूलों द्वारा प्रतिवर्ष नामांकन किताब, कॉपी, ड्रेस आदि के नाम पर अभिभावकों से नाजायज मोटी रकम वसूल कर उनका आर्थिक दोहन किया जाता है ।

मैं सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : इनको सदन से बाहर कीजिए, इनको बाहर कीजिए, उठाकर बाहर ले जाइये इनको।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान को मार्शल आउट किया गया तथा श्री शाहनवाज एवं श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद द्वारा बहिर्गमन किया गया ।)

माननीय सदस्य, बैठ जाइये । श्री प्रहलाद यादव । प्रहलाद जी, एक मिनट रुक जाइये । बैठ जाइये सब लोग । जो वेल में आयेंगे, उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा । प्रहलाद जी बोलिये । मुकेश जी, एक लाइन में अपनी बात को बोलिये ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, न्यायिक जांच कराई जाए । महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह जी के परपौता की जो हत्या हुई है उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है । सरकार के संज्ञान में बात आ गई है । आप बैठ जाइये ।

श्री राहुल तिवारी : अध्यक्ष महोदय, पुलिस के द्वारा हत्या हुई, वरूणा गांव में किसान को पुलिस के द्वारा गोली मारी गई इसकी जांच होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है । आप बैठ जाइये । श्री प्रहलाद यादव ।

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने हेतु माननीय मुख्यमंत्री एवं सभी डी0एम0 को मांग पत्र पत्रकार संघ द्वारा दिया गया, लेकिन आज तक पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं हुआ ।

अतः सरकार से मांग है कि पत्रकार हित में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाय ।

श्रीमती नीतु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के पत्रांक-J-11011/11/2015-RE-l (344831) दिनांक-18.04.2016 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न प्रखण्डों में बी0एफ0टी0 की संविदा के आधार पर नियुक्ति हुई है ।

निवेदन है कि मनरेगा कार्यों में गुणवत्ता हेतु संविदा पर नियुक्त बी0एफ0टी0 को विभागीय दायित्व से अवगत कराने के साथ-साथ नियमित वेतन देने की सदन से मांग करती हूं ।

श्रीमती अरूणा देवी : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिले के पकरीवरावॉ प्रखण्ड मुख्यालय से 12 कि0मी0 दूर सभी शर्तों को पूरा करनेवाला धमौल बाजार को प्रखण्ड का दर्जा देने की मांग करती हूं ।

श्री सुरेन्द्र मेहता : अध्यक्ष महोदय, प्रधान शिक्षक बहाली प्रशिक्षणोपरान्त आठ वर्ष सेवा की बाध्यता से बेसिक ग्रेड के टी0ई0टी0 शिक्षक बहाली प्रक्रिया से वंचित हो रहे हैं । पटना हाईकोर्ट सी0डब्ल्यू0जे0सी0 16633/2021 अंतरिम आदेश की अवहेलना है ।

अत: टी0ई0टी0 शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा कबीर अंत्योष्टि अनुदान तमाम गरीबों के बदले सिर्फ बी0पी0एल0 परिवारों को ही दी जाती है ।

मैं सरकार से कबीर अंत्योष्टि अनुदान का लाभ सभी को देने की मांग करता हूं ।

श्री चन्द्रहास चौपाल : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार के पारिवारिक सुरक्षा लाभ योजना की राशि बीस हजार से बढ़ाकर एक लाख पचास हजार रुपया करने की मांग करता हूं।

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सिंधिया कुलामनी पंचायत में सेतीघाटा चौन्दी गांव के पास रमजान नदी पर पुल नहीं रहने के कारण आमजनों को खासकर छात्र/छात्राओं को पढ़ाई के लिए स्कूल जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अत: मैं उक्त स्थान पर पुल निर्माण करने की मांग सरकार से करता हूं।

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, लखीसराय जमुई जिलों की सीमा क्षेत्र में किऊल नदी पर मननपुर बाजार के भलुई घाट से मंझवे के बीच सड़क सह पुल के शीघ्रातिशीघ्र निर्माण की मांग करती हूं ।

श्री मनोज मंजिल : अध्यक्ष महोदय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय समेत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर करने में 4 से 5 साल लग रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा से वंचित हो जा रहे हैं । विश्वविद्यालयों के सत्र नियमित करने एवं शैक्षणिक कैलेंडर जारी करने की मांग करता हूं ।

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, रग्बी फुटबॉल मैच में अरवल जिला निवासी दिव्यांशु भारती (यू/14) एवं कोमल कुमारी (यू/18) ने गोल्ड मेडल हासिल किया है । अरवल के स्कूलों में रग्बी फुटबॉल शामिल नहीं है । अरवल के विद्यालय खेल प्रतियोगिता में रग्बी फुटबॉल को शामिल करने की मांग करता हूं ।

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : अध्यक्ष महोदय, बांका जिला के कटोरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पीपराडीह एवं उदालखूट के दोनों तरफ सम्पर्क पथ को आपस में जोड़ने हेतु कटोरिया प्रखंड के भोरसार भेलवा पंचायत में पीपराडीह गांव के पास नदी में पुल निर्माण कराने की मांग करती हूं ।

टर्न-8/यानपति/30.03.2022

श्री गोपाल रविदास: अध्यक्ष महोदय, पटना जिला अंतर्गत फुलवारी विधान सभा के जगनपुरा एन0एच0-30 से सामुदायिक भवन होते त्रिदेव मंदिर रोड एवं नाला निर्माण की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री राम रतन सिंह: अध्यक्ष महोदय, तेघड़ा विधान सभा क्षेत्र में, तेघड़ा प्रखंड के रातगांव पंचायत के वार्ड नं0-10 में अवस्थित खेल मैदान में चहारदीवारी एवं भव्य द्वार की अत्यन्त आवश्यकता है ।

अत: खेल प्रेमियों के हित में तथा खेल के महत्व को ध्यान में रखते हुए उक्त खेल मैदान का चहारदीवारी एवं द्वार निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री ललित नारायण मंडल: अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के सुलतानगंज प्रखंड के खानपुर पांचायत के दौलतपुर गांव के छोटी माघोथान से मिरहट्टी गांव तक लगभग 35 कड़ी कच्ची सर्वे सड़क के पक्कीकरण करने की मांग करता हूं ।

श्री महबूब आलम: अध्यक्ष महोदय, मनरेगा ग्रामीण जनता के लिए रोजगार का एक बड़ा माध्यम है, अभी मनरेगा के तहत कब्रिस्तान, श्मशानघाट एवं खेल के मैदान की मिट्टी भराई के काम पर रोक लगा दी गई है ।

मनरेगा में मिट्टी भराई के काम को पूर्ववत चालू कराने की मांग करता हूं ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम: अध्यक्ष महोदय, योगा को बढ़ावा देने के लिए सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योगा शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है । रोहतास जिले सहित कई अन्य जिलों के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योगा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है । वंचित जिलों में योगा शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग करता हूं ।

श्रीमती भागीरथी देवी: बेतिया जिलांतर्गत प्रखण्ड रामनगर एवं गौनाहा में विद्युत विभाग द्वारा अवैध वसूली के रूप में बिजली बिल भेजा जाता है जिससे वहां के उपभोक्ता काफी परेशानियां उठाते हैं ।

मैं सरकार से मांग करती हूं कि बिजली बिल सुधार की एक स्थायी व्यवस्था की जाय ।

अध्यक्ष: सरकार सुन रही है और संज्ञान में भी ले रही है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, आपने सरकार को निदेश दिया है सुनने के लिए तो सरकार भी कह रही है कि सरकार ने भागीरथी जी की बात को सुना है और उनको हम इत्मीनान करते हैं कि जो उन्होंने कहा है उसपर सरकार कार्रवाई जरूर करेगी ।

श्री विजय कुमार खेमका: अध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल बांग्लादेश से घुसपैठ, मादक पदार्थ, पशु तस्करी तथा राष्ट्रविरोधी गतिविधि पर रोक हेतु सीमावर्ती पूर्णिया के गुलाबबाग बरसौनी में एस0एस0बी0 कैम्प स्थापित करने की योजना लंबित है ।

अत: मैं सरकार से सीमांचल में राष्ट्रविरोधी गतिविधि पर रोक लगाने हेतु उक्त स्थान पर एस0एस0बी0 कैम्प शीघ्र निर्माण कराने हेतु केंद्र सरकार से अनुशंसा करने की मांग करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, कम मजदूरी के चलते बिहार के गरीब बिजली बिल देने में सक्षम नहीं हैं । अत: दिल्ली, पंजाब की तरह बिहार के दलितों-गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री कृष्णनंदन पासवान: अध्यक्ष महोदय, बिहार, उड़ीसा कोऑपरेटिव 35 एक्ट के तहत पूर्वी चम्पारण में पंचायत स्तरीय 16 समितियां निबंधित हैं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर 1990 से 2006 तक उन्हें जलकरों की बंदोबस्ती की गई थी आज भी उनका निबंधन बरकरार है ।

सरकार से मांग है कि उन जलकरों की बंदोबस्ती करावें ।

श्री अजीत कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, दिनांक- 28.03.2022 को दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष श्री दीपक कुमार मेहता की अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी । सामाजिक जीवन में उनका महान योगदान रहा था । मैं अपराधियों की अविलम्ब गिरफ्तारी एवं स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाने की मांग करता हूं ।

श्री समीर कुमार महासेठ: अध्यक्ष महोदय, मधुबनी नगर निगम की सीमा 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित कर नये पंचायत क्षेत्रों को जोड़ा जा रहा है जिससे लोगों में आक्रोश है । 2021 में वोटर लिस्ट के आधार पर नगर निगम क्षेत्र के सीमांकन की मांग करता हूं ।

श्री विद्या सागर केशरी: अध्यक्ष महोदय, फारबिसगंज प्रखंड के हरिपुर, परवाहा, सैफगंज पंचायत होकर गुजरने वाली ''कजरा बांध परियोजना'' 1984 में कोशी विभाग द्वारा बनाया गया था जो आज दर्जनों स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो चुका है । पूर्व में विभाग को अवगत करने के बावजूद आजतक वर्णित स्थानों पर बांध निर्माण नहीं हो पाया है, बांध निर्माण की मांग सदन से करता हूं ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी: अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिला के सहदेई बुजुर्ग प्रखण्ड अंतर्गत सहदेई पंचायत के वार्ड संख्या-14 में, कनीय अभियंता एवं संवेदक की मिलीभगत के कारण नल-जल कार्य अधूरा है । लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं ।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि उक्त वार्ड में यथाशीघ्र पीने का पानी उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाय ।

श्री अरूण सिंह: अध्यक्ष महोदय, जिला-रोहतास अन्तर्गत सोन नहर के दनवार प्रमंडल में सोनी चैनल का 1962 ई0 में निर्माण हुआ था । इस चैनल से 500 एकड़ से अधिक भूमि का पटवन होता है, जो जीर्णशीर्ण अवस्था में है । इसका जीर्णोद्धार कराने की मांग करता हूं ।

श्री जय प्रकाश यादव: अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखण्ड के रघुनाथपुर उत्तर पंचायत के वार्ड नंबर-1 में केशी यादव के घर से वार्ड नंबर-5 स्थित दिनेश यादव के घर तक पक्की सड़क एवं लचहा नदी में पुल निर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

श्रीमती ज्योति देवी: अध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत प्रखण्ड- मोहनपुर के ग्राम पंचायत केवला के ग्राम- मटगढ़ा में गिधी पहाड़ी से वनों के क्षेत्र पदाधिकारी एवं वन परिसर पदाधिकारी की मिलीभगत से दबंगों द्वारा अवैध रूप से पत्थर तथा मोरंग खनन कर बेचे जा रहे हैं । मैं तत्काल जांच एवं संलिप्त पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग सदन से करती हूं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी । ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर सदन की सहमति से शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जाएंगी ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री संजय सरावगी एवं नीतीश मिश्रा, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी0सी0आई0) के द्वारा बिहार में कुल 11 विधि महाविद्यालयों की संबद्धता समाप्त कर दी गयी है जिसमें दो

अंगीभूत महाविद्यालय-सी0एम0 विधि महाविद्यालय जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के अधीन है एवं रविनंदन मिश्र मेमोरियल विधि महाविद्यालय, सहरसा जो बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के अधीन है, जिन्हें समयानुसार निरीक्षण शुल्क जमा नहीं करने, कॉलेज में बी0सी0आई0 के मानक के अनुरूप विधि शिक्षक की कमी, पूर्णकालीन प्रधानाचार्य नहीं रहने एवं भौतिक संरचना का अभाव इसके कारण बताये गये हैं । माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी इनमें नामांकन पर रोक लगा दिया है । अंगीभूत इकाई होने के बावजूद ऐसी हालत में लाने के लिए विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार की उदासीनता उजागर होती है ।

अतः इन अंगीभूत विधि महाविद्यालयों की पुनः संबद्धता दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

टर्न-9/अंजली/30.03.2022

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, सबसे पहले तो हम इन दोनों माननीय सदस्यों को सरकार की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने बड़े ही प्रासंगिक विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है । महोदय, इस संबंध में स्थिति यह है कि राज्य के विधि महाविद्यालयों में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मानक के अनुरूप आधारभूत सुविधा एवं शिक्षकों की अनुपलब्धता की बात करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक जनहित याचिका दायर की गई थी । इस वाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया दायर प्रति शपथ पत्र के आधार पर आधारभूत सुविधाओं की कमी को दृष्टिपथ में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिनांक-19.01.2022 के न्यायादेश के द्वारा प्रश्नगत महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन पर रोक लगाई गई है । न्यायादेश में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इन महाविद्यालयों का निरीक्षण करने का भी निदेश दिया गया है । महोदय, उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा सभी विश्वविद्यालयों से अंगीभूत विधि महाविद्यालय, विधि संकायों में शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालयों से रोस्टर क्लियरेंस कराते हुए प्रस्ताव की मांग की गई है । इस संदर्भ में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा से अभी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं । विश्वविद्यालय से इन दोनों महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधा के विकास हेतु प्रस्ताव आने पर उसका आवश्यक निदान कर सरकार फिर से इन महाविद्यालयों की संबद्धता बहाल करने का प्रयास करेगी ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, राज्य में कुल 28 विधि महाविद्यालय हैं, उसमें से 11 विधि महाविद्यालय जिसमें दो अंगीभूत हैं । अध्यक्ष महोदय, अंगीभूत में राज्य सरकार और विश्वविद्यालय की ही जवाबदेही है और इस 11 अंगीभूत महाविद्यालय में लगभग सालाना 1500 विधि के छात्र नामांकन लिया करते थे । अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया, आधारभूत संरचना शिक्षक की बहाली बाकियों की कमी के कारण जो है इन 2 अंगीभूत सी0एम0 लॉ कॉलेज वर्ष 1952 से यह विधि महाविद्यालय है, हजारों की संख्या में न्यायिक पदाधिकारी, अच्छे-अच्छे वकील जो हैं इस महाविद्यालय ने दिया है, सी0एम0 लॉ कॉलेज ने दिया है । अध्यक्ष महोदय, मैं बस दो-तीन मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा । चाणक्य विधि महाविद्यालय सरकार ने खोला, अच्छा किया है जिसमें साल में 120 बच्चे नामांकित होते हैं और सरकार ने साढ़े चार सौ करोड़ की राशि स्वीकृत की और लगभग 4 लाख रुपया नामांकन शुल्क इसमें पूरे विधि में लगता है, चाणक्य विधि महाविद्यालय में और हमलोग का सी0एम0 कॉलेज या सहरसा कॉलेज में मात्र 14 हजार में एल0एल0बी0 करते हैं, लॉ करते हैं और इसमें अगर अध्यक्ष महोदय और माननीय मंत्री जी ने कहा कि आधारभूत संरचना का प्रस्ताव, अध्यक्ष महोदय, कई बार आधारभूत संरचना को सही करने के लिए प्रस्ताव दिया है, मैंने खुद डेढ़ साल पहले जो है पत्र लिखा है, उसमें जो शिक्षक आधारभूत संरचना निगम है शैक्षणिक का, उसके इंजीनियर भी वहां डी0पी0आर0 बनाने के लिए गए, डी0पी0आर0 लाकर जमा किए, नहीं किए, पता नहीं लेकिन डी0पी0आर0 बनाने गए थे, मैं खुद वहां पर उस समय था और अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री जी ने कहा रोस्टर क्लीयर का मामला, विश्वविद्यालय ने अपने पत्रांक-एस0सी0 325/21 को दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त को दिनांक- 21.10.2021 को ही भेजा लेकिन जानते हैं विश्वविद्यालय का बहुत पदाधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है । अध्यक्ष महोदय, जब तक सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, 1952 से यह है और जो है 1992 से अब वह अलग भी अपना महाविद्यालय हो गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी आधारभूत संरचना या बाकी जो भी वहां व्यवस्था है लॉ कॉलेज, सहरसा कॉलेज या बाकी के, क्या एक कमेटी बनाकर क्योंकि लॉ स्टूडेंट मात्र 14 हजार रुपया में जो हैं सी0एम0 कॉलेज में पढ़ते थे, सी0एम0 कॉलेज में दो साल से नामांकन बंद है और चाणक्य में 4 चार लाख रुपया लगता है जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं वे वहां से लॉ ग्रेजुएट करते थे । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन सभी मामलों के लिए कोई एक शिक्षा विभाग की कमेटी बनाकर और

अध्यक्ष महोदय, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बिहार के भी उसमें मेंबर हैं अध्यक्ष महोदय और उन्होंने रिपोर्ट दिया था कि 19 शिक्षक वहां हैं और 19 शिक्षक हैं, लॉ टीचर्स हैं और 7 क्लास रुम भी वहां हैं और महाविद्यालयों में क्या किया गया कि ठीक है 300 की जगह सीट घटाकर 120 कर दिया गया, 180 कर दिया गया लेकिन वहां जो है एडमिशन बंद नहीं हुआ वर्ष 2018 में, फिर से हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई 3-4 सदस्यीय कमेटी बनाकर जो शिक्षा विभाग की हो, सरकार में रोस्टर क्लीयर का मामला हो या उसको आधारभूत संरचना से जो है उसका बिल्डिंग वगैरह बनाने का मामला हो तो क्या ऐसी कोई कमेटी बनाकर, इसकी सारी समीक्षा करके जो भी कमियां हैं उसको दूर करके और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में या हाईकोर्ट में फिर तारीख पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, इसमें गंभीरता का अभाव रहा है, इस लॉ कॉलेज में जो 11 लॉ कॉलेज की संबद्धता समाप्त हुई है ।

अध्यक्ष : आपका पूरक इतनी देर में क्या निकला ?

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, पूरक यही निकला कि क्या कोई कमेटी बनाकर जो है शिक्षा विभाग इन सब मामलों का निष्पादन करके पुनः वहां नामांकन प्रारंभ हो, इसकी चिंता करना चाहती है, यह मैं जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने लगभग बातें सब सही कही हैं, सिर्फ एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जिन समस्याओं की चर्चा उन्होंने की कि जैसे अभी मेरे संज्ञान में विश्वविद्यालय के या महाविद्यालय के द्वारा कोई रोस्टर क्लियरेंस का प्रस्ताव विश्वविद्यालय के माध्यम से दरभंगा कमिशनर को दिया गया है, इसकी सूचना अभी हमें नहीं थी, अगर ये दे देते हैं, तो अगर महाविद्यालय में पद सृजन अथवा रोस्टर क्लियरेंस का प्रस्ताव विश्वविद्यालय से अनुशंसा होकर कमिशनर के यहां पेंडिंग है तो इस बात में कमेटी क्या करेगी, सरकार खुद इसका वाद देखेगी कि कमिशनर उसका रोस्टर क्लियरेंस दे दें । दूसरी जहां तक आधारभूत संरचना की बात है तो आधारभूत संरचना उन्होंने खुद कहा है और अगर बिहार शिक्षा आधारभूत संरचना विकास निगम के अधिकारियों ने कोई डी0पी0आर0 अथवा संरचना से जुड़ा कोई प्रस्ताव बनाया है तो स्वयं उस बात को हम मंगा कर देखेंगे तो इसमें कोई जांच की बात है नहीं और माननीय सदस्य ने चूंकि सभी बातों की शुरुआत से जिक्र की है तो एक चीज हम आसन के माध्यम से सदन को और माननीय सदस्य को भी अवगत कराना चाहते हैं कि आपने 1952 से इस कॉलेज या 1992 की भी बात जो आपने कही, ये एक चीज बड़ी विचित्र

समीक्षा के क्रम में मेरे संज्ञान में आई कि सी0एम0 कॉलेज में शुरू में जो उन्होंने कहा 1952 से, वह एक विभाग के रूप में चल रहा था, सी0एम0 कॉलेज के रूप में लेकिन 1992 में उस विभाग को महाविद्यालय का रूप दे दिया गया और महोदय, इसमें कोई सरकार से न अनुमति ली गई, न इसका कोई अनुमोदन कराया गया । सरकार के यहां हमने पूरी तहकीकात की है, सरकार के यहां सी0एम0 साइंस कॉलेज, अब समझिए महोदय, कॉलेज के अंदर तो कॉलेज होता नहीं है, विभाग होता है । अब यह अलग कॉलेज है, वहां एक विभाग ने अपने को कॉलेज के रूप में बना लिया और विश्वविद्यालय से वह चलने लगा, सरकार के यहां कॉलेज की न कोई सूचना है, न कोई अनुमोदन है तो ये सब जो विसंगतियां हैं लेकिन माननीय सदस्य बात सही कह रहे हैं कि आखिर महाविद्यालय के रूप में यूनिवर्सिटी चला रहा है तो यह क्यों ऐसा होते रहा है, हम जरूर इसकी समीक्षा करेंगे और इसके लिए जो भी उपाय होगा वह हम करेंगे ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत गंभीरता से इन मामलों को लिया है और माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार को सूचना नहीं है, अलग से कैसे महाविद्यालय बन गया । मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि कई बार सूचना भी दी गई, उसको अलग से मान्यता राज्य सरकार दे दे, इसके लिए भी कहा गया और राज्य सरकार सी0एम0 लॉ कॉलेज का जो बजट भेजती है अब वह अलग से भेजती है न कि उसका बजट सी0एम0 साइंस कॉलेज में जा रहा है, सरकार को अगर सूचना नहीं है तो उसका बजट अलग से कैसे जा रहा है लेकिन मान्यता अभी तक सरकार ने अपने यहां उसको अलग करने की नहीं दी लेकिन वह अलग से चल रहा है तभी सरकार बजट भी दे रही है । इसलिए मैं फिर से वही बात बोलता हूं कि जल्द से जल्द उसके आधारभूत संरचना, रोस्टर क्लीयर, ये जो भी कमियां हैं ।

अध्यक्ष : आपके सुझाव को ग्रहण किया ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, गरीब वहां लॉ ग्रेजुएट हो रहे हैं तो जल्द से जल्द यह चालू हो जाए, मेरा बस यही आग्रह माननीय मंत्री जी से है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बताइए । इतनी देर ?

टर्न-10/सत्येन्द्र/30-03-22

श्री नीतीश मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, संजय जी इतना समय नहीं लेंगे, हम सिर्फ आधे मिनट में बात कहेंगे । भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय का एक मात्र रविनंदन मिश्र मेमोरियल लॉ कॉलेज अंगीभूत इकाई है । हम सिर्फ इतना आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से, प्रस्ताव की कॉपी भी है, जो विश्वविद्यालय ने 2015 में भेजा पोस्ट सेंक्सन के लिए, हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय और सरकार के बीच में हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में न जाय और इसके अंगीभूत इकाई की जवाबदेही सरकार की है तो सरकार को उस जवाबदेही का निर्वहन करना पड़ेगा । बार काउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा जो रोक लगायी गयी है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर, अब जो समय बीता बीता, अब शीघ्र में जो कमियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या फैकल्टी की कमी है, वह सरकार और विश्वविद्यालय मिलकर पुन: इन दोनों अंगीभूत इकाईयों का संचालन सुचारू रूप से प्रारम्भ करा दें । यह ध्यानाकर्षण लाने का यही उद्देश्य था अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष: ठीक । माननीय सदस्या, श्रीमती मीना कुमारी अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्रीमती मीना कुमारी, श्रीमती शालिनी मिश्रा एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार(शिक्षा विभाग)की ओर से वक्तव्य ।

श्रीमती मीना कुमारी: अध्यक्ष महोदय, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है । इस विज्ञप्ति में पहली अप्रील, 2010 के पश्चात् शिक्षक बनने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता निर्धारित की गयी है जबकि बिहार में वर्ष 2013 से टी0ई0टी0 शिक्षकों की नियुक्ति प्रारम्भ हुई है । विभागीय शिथिलता के कारण वर्ष 2019 में सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों का एकमुश्त प्रशिक्षण कार्य पूरा हुआ है । बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति की शर्त्तों के कारण एस0टी0ई0टी0 उत्तीर्ण शिक्षक अनुभव की पात्रता से वंचित हो जायेंगे ।

अत: प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु वर्ष 2010 के पश्चात् शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता की दी गयी शर्त्त को समाप्त किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, प्रथम पाली में माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान वेल में आ गये थे, वेल में आना ठीक, आसन का जो निर्णय है वह सर्वोपरि है महोदय लेकिन प्रथम पाली में हुआ महोदय, द्वितीय पाली से इजाजत दे दिया जाय महोदय ।

अध्यक्षः ठीक । माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः महोदय, माननीय सदस्यों की यह सूचना भी प्रासंगिक है और यह जो विसंगति एक आ गयी थी, ये सरकार के और विभाग के संज्ञान में यह बात पहल ही आ चुकी थी और हमलोगों ने इसका निदान कर दिया है । इसमें स्पष्टतया आ गयी है । यह बात जरूर है कि जो माननीय सदस्यागण ने जो बात उठायी है वह जरूर एक विसंगति सी प्रतीत होती थी कि 2012 के बाद से जो लोग हैं, जब परीक्षाएं ही 2012 के बाद से हो रही थी तो उसके पहले के लोग पात्रता परीक्षा कैसे करते तो उसको दूर कर दिया गया है । आशय यह था कि जब से पात्रता परीक्षा प्रारम्भ हुई है, तब से पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य था और उसके पहले जितने भी, उसके पहले के नियुक्त शिक्षकगण है उनके लिए दक्षता परीक्षा पास करना अनिवार्य है और हमें जो जानकारी है कि जो पहले नियुक्त शिक्षकगण है वह सब दक्षता परीक्षा पास कर लिये गये हैं । वह स्थिति हमलोगों ने विभाग के तरफ से कर दी है और यह सूचना बिहार लोक सेवा आयोग को भी दे दी गयी है इसलिए जो माननीय सदस्य या सदस्यागण ने बात उठायी है उसका निदान हो चुका है ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ था ।

अध्यक्षः आपका इसमें हस्ताक्षर नहीं है ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्षः नहीं, तब तो सब लोग इसी तरह से करेंगे । बैठ जाईए, आप अलग से मिल लीजियेगा । आप देखें नहीं ललित यादव जी आपलोगों को जब मना करते हैं तो लोग मानते नहीं है और फिर इन्हीं को उनकी पैरवी करने के लिए आना पड़ता है। मैं आग्रह करूंगा कि – जब मन खराब हो, तब बुरे शब्द न बोलें, क्योंकि खराब मन को बदलने के लिए मौके बहुत मिल जायेंगे लेकिन शब्दों को बदलने के मौके फिर नहीं मिलेंगे और इस चीज को सब को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि सारे सदन को कल कुछ शब्दों से तकलीफ भी हुई थी और देखिये, आज बगिया बनकर किसी को डुबोने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाय । जैसे ललित यादव जी ने प्रयास किया है और अंत में एक चीज कहना चाहेंगे कि कितना जीना है यह हमारे हाथ में नहीं है, पर कैसे जीना है यह तो हमारे हाथ में है । सदन में कैसे चलना है यह हम सबों के हाथ में है और आगे से इसको ध्यान में रखें । माननीय सदस्या ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ और एक बात पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि इसका

समाधान कर लिया गया है तो क्या एस0टी0ई0टी0,टी0ई0टी0 शिक्षकों को इस बी0पी0एस0सी0 परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा रही है, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया अगर आप समझा देंगे तो अच्छा रहेगा ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: माननीय सदस्या की चिंता भी जायज है क्योंकि जो मूल विज्ञापन था उसमें वह तिथि 28 मार्च तक ही दी हुई थी तो इस विसंगति को जो दूर किया गया है जिसमें ये 2012 के बाद के जो अभ्यर्थी होंगे उनको पात्रता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी । उसके पहले के लोगों को दक्षता परीक्षा पास करनी होगी । यह आयोग को अवगत करा दिया गया है और ऐसे लोगों को सामंजित करने के लिए तिथि भी बढ़ा दी गयी है अब 11 अप्रैल तक तिथि बढ़ा दी गयी है इसलिए वह सब सामंजित हो जायेंगे ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, इसमें हाईकोर्ट का भी था कि बैठने की अनुमति दी जाय तो बैठने की अनुमति, अभी भी मुझे समझ में नहीं आया कि हाईकोर्ट के आर्डर का...

अध्यक्ष: हो गया, आपमंत्री जी से समझ लीजिये ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: महोदय, समझ में नहीं आया । माननीय मंत्री जी, एक बार बतला देंगे तो अच्छा रहेगा कि उनको बैठने की अनुमति एस0टी0ई0टी0, टी0ई0टी0 शिक्षकों को मिली है कि नहीं ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: बिल्कुल है । नहीं बैठने की अनुमति कहां है महोदय, ये तो ऐडमिस्बिलिटी होती है, जिनकी पात्रता किन्हीं की है कि नहीं है और माननीय सदस्या ने जो बात उठायी, वह जायज थी, प्रासंगिक भी था और वह विज्ञापन में एक विसंगति रह गयी थी कि जो 2012 के बाद के शिक्षक हैं, जब परीक्षाएं ही जिस वर्ष प्रारम्भ हुई, उससे पहले उस परीक्षा को कोई कैसे पास कर सकता था तो अब उसमें सुधार यह है कि जब से पात्रता परीक्षा आरम्भ हुई है तब से बाद उसके बाद के जो शिक्षक नियुक्त होंगे उनके लिए पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा और उसके पहले के जो नियुक्त शिक्षक होंगे, उनको दक्षता परीक्षाएं जो सरकार ने समय समय पर ली थी, उसमें पास होना अनिवार्य होगा और दोनों तो बैठ सकते ही हैं । बैठने में हमने इसलिए कहा कि वे बैठेंगे, तभी जब आवेदन देंगे, अभ्यर्थी बनेंगे और जो छूट गये थे, हो सकता है इस प्रावधान से बंचित हो रहे थे उनको सामंजित करने के लिए ही हमलोगों के निवेदन पर आयोग ने तिथि भी बढ़ा दी है कि अब बचे हुए 11 अप्रील तक तिथि बढ़ा दिया गया है, उसमें वे आवेदन भी दे सकते हैं जो छुटे हुए हैं ।

अध्यक्षः अब शून्यकाल शेष बचे । श्री सुर्यकांत पासवान ।

टर्न-11/मधुप/30.03.2022

शून्यकाल

श्री सुर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय, बिहार के विभिन्न प्रखण्डों में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में लगभग 4 हजार से ज्यादा कर्मी कार्यरत हैं, इतनी भीषण महंगाई में भी इन कर्मियों का वेतन 6 हजार से 15 हजार मात्र है, इन कर्मियों के वेतन वृद्धि हेतु मैं सरकार से माँग करता हूँ ।

श्री निरंजन राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत कार्यरत गरीब रसोईया जिसको मात्र 1500/- अल्प मानदेय प्रतिमाह मिलता है । रसोईया कुशल मजदूर की श्रेणी में आते हैं ।

अतः सरकार द्वारा निर्धारित कुशल मजदूरी 322/- प्रतिदिन की दर से 9660/- प्रतिमाह रसोईया को मानदेय भुगतान करने की माँग करता हूँ ।

श्री मोहम्मद इसराइल मंसुरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के अधीन कार्यरत तालीमी मरकज एवं टोला सेवकों की आर्थिक बदहाली को देखते हुए उनके मानदेय को ''ग्रुप सी'' के समतुल्य मानदेय देने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवान जिलान्तर्गत बदली-प्रतापपुर (उत्तर प्रदेश) को जोड़ने वाली पथ को जनहित में ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को स्थानांतरित कर चौड़ीकरण, मजबूतीकरण करने की माँग करता हूँ ।

अध्यक्ष : श्री मोहम्मद अंजार नईमी ।

(अनुपस्थित)

श्रीमती विभा देवी : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के नवादा नगर परिषद क्षेत्र में महिला डिलक्स शौचालय निर्माण हेतु मांगी गई आवंटन राशि से संबंधित पत्र ज्ञापांक-17081, दिनांक- 06.02.2021 में उल्लेखित राशि का आवंटन हेतु माँग करती हूँ ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, नालन्दा जिला के इस्लामपुर प्रखण्ड के खोदागंज बाजार में अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति मिलने एवं निविदा की प्रक्रिया पूरा होने और जमीन उपलब्ध होने के बाद भी संवेदक के द्वारा निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है ।

मैं सरकार से माँग करता हूँ कि निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ करावें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखण्ड के अंतर्गत आजादी के पूर्व का भवन, जिसमें राजस्व कचहरी चल रहा था, को अचानक 06.

3.2022 को बिना सक्षम प्राधिकार से अनुमति लिये कार्यपालक पदाधिकारी, केसरिया नगर पंचायत द्वारा तोड़ दिया गया ।

अतः जॉच कराकर कार्रवाई करने की मॉग करती हूँ ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, मोरवा विधान सभा के इंद्रवारा गॉव में प्राचीन पुरातात्विक सामग्रियॉ भगवान सूर्य, विष्णु की मूर्तियॉ कई बार मिली हैं । सुरक्षा के अभाव में इसकी चोरी हो चुकी है ।

अतः प्राप्त पुरातात्विक स्तंभ, मूर्तियॉ एवं दुर्लभ धरोहरों की सुरक्षा की मॉग करता हूँ ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा शहर के कई मोहल्ले और टोले प्रत्येक साल मुख्य नाले की उड़ाही नहीं होने के कारण जल जमाव से त्रस्त रहते हैं । इस बार भी अभी तक मुख्य नाले की उड़ाही का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है ।

सरकार अविलंब शहर के सभी मुख्य नाले की उड़ाही कराकर पुनः इस साल होने वाले जल जमाव से निजात दिलावे ।

श्री मनोज कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013 में आयोजित स्पेशल टीईटी परीक्षा जो उर्दू/बंगला विषय से संबंधित है । 26000 हजार परीक्षार्क्षी सफल हुए, जिसमें से 12000 सफल परीक्षार्थी को तकनीकी कारण बताकर असफल घोषित कर दिया गया है ।

अतः इन 12000 परीक्षार्थियों को 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके रिजल्ट प्रकाशित करने की मॉग सदन से करता हूँ ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिड डे मील है इसका निष्पादन रसोईया करती है । विद्यालय खुलने के साथ सफाई से लेकर बच्चों को खाना बनाकर खिलाती है । 9-10 घंटे काम की मजदूरी मात्र 54 रूपये दैनिक मिलता है । सरकार रसोईयों को 10 हजार रूपया प्रतिमाह वेतन और सरकारी कर्मचारी की मान्यता दे ।

श्री विजय कुमार मण्डल : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला के दिनारा प्रखण्ड में पोलिटेक्निक कॉलेज नहीं होने के कारण इंटर पास छात्र एवं छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में काफी कठिनाई होती है । सरकार दिनारा प्रखंड में जमीन अधिग्रहण कर पोलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण करावे ।

श्री सुदामा प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1857 के क्रांति के महानायक वीर कुंवर सिंह के प्रपौत्र कुंवर रोहित सिंह की जगदीशपुर किले में तैनात सी0आई0टी0 के जवानों की पिटाई और अस्पताल की लापरवाही से मौत हो गई । घटना की जॉच कराकर

दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने तथा मृतक के परिजन को पर्याप्त मुआवजा देने की माँग करता हूँ ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, सर्व शिक्षा अभियान के तहत पहले से आठवीं तक के छात्रों को मुफ्त पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने का प्रावधान है, लेकिन बिहार सरकार द्वारा किताब देने के बदले खाता में पैसा भेजने की नीति के कारण केवल 20% छात्र ही किताब खरीद पा रहे हैं ।

अत: सरकार पैसा के बजाय बच्चों को किताब देने की नीति बनाये ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज में एक चलन्त अस्पताल, एक आधुनिक एम्बुलेंस के साथ प्रत्येक पंचायत में एक 2 कमरे का पंचायत अस्पताल, जिसमें फर्स्ट एड की सुविधा के साथ, सभी का डेली एवं वीकली हेल्थ मोनिटर रिकार्ड रखने का प्रावधान हो, खोलने का मैं सदन के माध्यम से सरकार से माँग करती हूँ । कोविड जैसे महामारी को देखते हुए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपका सबसे अंत में ही प्रत्येक दिन क्यों आता है ?

अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–12/आजाद/30.03.2022

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कार्य स्थगन दिया था, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया । मैं वेल में गया, आपने मार्शल आऊट कराया । उसके बाद मैंने बाहर बैठा, उसके बाद आपने अपने कक्ष में बुलाकर कहा कि आप हाऊस में आये और मैंने आपके आदेश को स्वीकार करके हाऊस में आया । अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ.....

अध्यक्ष : बैठ जाइए ।

श्री अखतरूल ईमान : बैठना होगा तो आपके दरवाजे पर बैठेंगे सर । मेरी पीड़ा है सर .....

अध्यक्ष : बैठने के लिए दरवाजा नहीं है । बैठिए ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, हमारी पीड़ा जो है, उसपर हम चाहते हैं कि सरकार से आश्वासन दिलाइए सर ।

हाऊस में समस्याओं के समाधान की जगह है ।

अध्यक्ष : यह उचित नहीं है । आप प्रेशर मत बनाइए । इस तरह का काम मत कीजिए ।

श्री अखतरूल ईमान : मैं आग्रह कर रहा हूँ । वहां की जनता .....

अध्यक्ष : आप अपने जगह पर बैठिए ।

श्री अखतरूल ईमान : अगर हमारी बात नहीं सुनी जायेगी तो हम आपके दरवाजे पर बैठेंगे सर।

अध्यक्ष : आपके प्रेशर में सरकार आश्वस्त करेगी, यह परम्परा नहीं है । बैठ जाइए ।

(इस अवसर पर ए0आई0एम0आई0एम0 के माननीय सदस्यगण वाकआऊट कर गये)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

<u>विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श</u>

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राजेश कुमार : जी सर ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 के सिद्धांत पर विमर्श हो।''

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए लाया है क्योंकि संशोधन विधेयक के द्वारा शासन के विकेन्द्रीकरण की जगह केन्द्रीकरण की बढ़ावा दी जा रही है । अध्यक्ष महोदय, मूल विधेयक में पुलिस प्रशासन के बेहतर कार्य करने के लिए 12 क्षेत्रों और 5 प्रक्षेत्रों में विभक्त था । क्षेत्रों का नियंत्रण पुलिस उप महानिरीक्षक एवं प्रक्षेत्रों का नियंत्रण पुलिस महानिदेशकों के अधीन था । महोदय, निरीक्षक से सिपाही स्तर के पुलिस कर्मियों का कार्यकाल जिले में 6 वर्ष, रेंज में 8 वर्ष और जोन में 10 वर्षों का था ।

महोदय, वर्तमान संशोधन विधेयक द्वारा प्रक्षेत्रों को समाप्त कर मात्र क्षेत्रों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है और उनके आधार पर पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण की व्यवस्था की गयी है ।

विधेयक के उद्देश्य में बताया गया है कि पुलिस महानिरीक्षक के पद प्रक्षेत्रों में रहने के कारण कार्यों में देरी होती है इसलिए प्रक्षेत्रों को समाप्त कर उसकी शक्तियां पुलिस महानिदेशक स्तर पर कर ली गयी है ।

महोदय, पुलिस महानिरीक्षकों का कार्य केवल पुलिस अधीक्षकों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण ही नहीं था । उनके द्वारा उप महानिरीक्षकों पर भी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी थी ।

नई व्यवस्था में सारी शक्तियां मुख्यालय में केन्द्रित होने से न केवल मुख्यालय के कार्यों में बढ़ोत्तरी होगी वरन कार्यों में और अधिक देरी होने की संभावना बनेगी ।

अध्यक्ष महोदय, शासन पद सोपान के सिद्धांत पर गठित होता है । नौकरशाही की मुख्य विशेषता होती है कि इसमें नियोजित और बौद्धिकता पूर्ण कार्यों के विभाजन की व्यवस्था की जाती है ।

संविधान निर्माताओं ने संविधान में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की चर्चा की है। सत्ता का केन्द्रीकरण सत्ता को निरंकुश बना देता है ।

एक बात और है कि इस संशोधन विधेयक लाने के पूर्व ही गृह विभाग के संकल्प संख्या-6588 के द्वारा क्षेत्रों का पुनर्गठन कर लिया गया है । बिना विधान मंडल के अनुमोदन के यह कैसे कर लिया गया है, यह विचार करने का विषय है । इसलिए महोदय, मैंने इस विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव दिया है ।

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : जी, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अन्दर दे ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि सदन में बार-बार संशोधन नहीं लाना पड़े और सम्यक विचार एक बार में ही हो जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अन्दर दे । ''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

<u>प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी सर, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अन्दर दे ।''

महोदय, क्योंकि सदन में बार-बार संशोधन नहीं लाना पड़े और सम्यक विचार एक बार में ही हो जाय इसलिए मैंने यह प्रस्ताव दिया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अन्दर दे । ''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के मूल पाठ में संशोधन

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड-2 में तीन संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

नहीं हैं ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी, सर ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन के उप धारा (1) की चौथी पंक्ति के अंक ''5'' के स्थान पर अंक ''8'' तथा पांचवीं पंक्ति के अंक ''8'' के स्थान पर अंक ''10'' प्रतिस्थापित किया जाय । ''

महोदय, स्थानान्तरण की अवधि थोड़ी और बढ़ाने के लिए मैंने यह संशोधन दिया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन के उप धारा (1) की चौथी पंक्ति के अंक ''5'' के स्थान पर अंक ''8'' तथा पांचवीं पंक्ति के अंक ''8'' के स्थान पर अंक ''10'' प्रतिस्थापित किया जाय । ''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे सर ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन के अंत में एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

परन्तु यह कि स्थानान्तरण के पूर्व दिये गये किसी भी प्रकार के आवेदन पर तर्कपूर्ण आदेश (reasond order) पारित होने के बाद ही स्थानान्तरण किया जायेगा । ''

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया है क्योंकि लोग आवेदन देते रहते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती है । लोगों के जितने आवदेन आये, उन सब पर निर्णय होना लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसलिए इसे मान लिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन के अंत में एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

परन्तु यह कि स्थानान्तरण के पूर्व दिये गये किसी भी प्रकार के आवेदन पर तर्कपूर्ण आदेश (reasond order) पारित होने के बाद ही स्थानान्तरण किया जायेगा । ''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का आंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-13/शंभु/30.03.22

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

प्रभारी मंत्री ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

महोदय, एक माननीय सदस्य ने अपने संशोधन में कहा कि पावर का सेंट्रलाइजेशन ये तो प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन है इसमें पावर का सेंट्रलाइजेशन का कहां मामला बनता है । महोदय, पुलिस प्रशासन की दृष्टि से बिहार राज्य में पांच बड़े प्रक्षेत्र और बारह क्षेत्रों में विभक्त था । प्रक्षेत्रों में पुलिस महानिरीक्षक एवं क्षेत्रों में पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी पदस्थापित किये जाते थे । प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक एवं क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक दोनों के द्वारा जिला पुलिस- पुलिस अधीक्षक को स्थानीय मार्गदर्शन प्रदान किया जाता था तथा इसके कार्यों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जाता था । पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक के पद प्रस्तुत जिला पुलिस अधीक्षक के अपर प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में संबंधित है । आदेश श्रृंखला में दृष्टिकोण को इस व्यवस्था को कार्यों का ठहराव होता था, दोहराव होता था । आदेश श्रृंखला को प्रभावी करने के लिए बनाने के उद्देश्य से यह आवश्यकता महसूस की गयी कि प्रक्षेत्रों की व्यवस्था को समाप्त कर सभी पुलिस क्षेत्र को पुनर्स्थापित, पुनर्गठित करते हुए बड़े एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी को पदस्थापित किया जाय । महोदय, दो-तीन स्तर में मामले थे इसको समाप्त करके केवल दो स्तर में मामले रखे गये हैं । इस प्रक्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रक्षेत्रों की व्यवस्था समाप्त कर पुलिस क्षेत्रों को पुनर्गठित करते हुए बड़े एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी पदस्थापित किये जाएं । उक्त निर्णय के आलोक में गृह विभाग के संकल्प सं0- दिनांक-10.06.2019 द्वारा प्रक्षेत्रों की व्यवस्था समाप्त कर उपर्युक्त क्षेत्रों एवं 12 प्रक्षेत्रों में जोन में और क्षेत्र में रेंज में पुनर्गठित किया गया । इस पुनर्गठन के पश्चात् अधीनस्थ पदों पर स्थानान्तण एवं तैनाती से संबंधित पुलिस अधिनियम 2007 की धारा-10(1) में उल्लेखित किसी जोन में तैनाती की अवधि एवं स्थानान्तरण के लिए समिति गठन का प्रावधान आकस्मिक हो गया । वर्तमान में बिहार पुलिस अधिनियम 207 की धारा-10 की उपधारा-1 के तहत निरीक्षक से सिपाही स्तर के पुलिसकर्मियों का किसी भी विशेष पद पर तैनाती जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा किये जाने का प्रावधान है । इन कर्मियों का कार्यकाल जिले में 6 वर्ष, रेंज में 8 वर्ष और जोन में 10 वर्ष का निर्धारित है। रेंज के भीतर एक जिला से दूसरे जिला में स्थानान्तरण समिति द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है । जिसमें रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक और रेंज के जिलों के पुलिस अधीक्षक होते हैं । एक रेंज से दूसरे रेंज में स्थानान्तरण समिति द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है । इसलिए जोन के पुलिस महानिरीक्षक और जोन के सभी जिलों के पुलिस उप महानिरीक्षक होते हैं । इसी तरह एक जोन से दूसरे जोन में स्थानान्तरण

एक समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान है । इसे अपर पुलिस महानिदेशक और जोन के सभी पुलिस अधीक्षक होते हैं । राज्य के बहुमुखी विकास के फलस्वरूप पुलिस प्रशासन के कार्यों में काफी वृद्धि हुई है और पुलिस बल में बड़े पैमाने पर नयी नियुक्ति की गयी है । पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता बनाये रखने एवं बेहतर कार्मिक प्रबंधन के मद्देनजर बिहार पुलिस अधिनियम की धारा- 10(1) में निरीक्षक से सिपाही स्तर के कर्मियों का जिला में 5 वर्ष, एक क्षेत्र में 8 वर्ष एवं इकाइयों में समेकित रूप से 8 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया जा रहा है । साथ ही निरीक्षक के सिपाही स्तर के पुलिस कर्मियों का क्षेत्र के अंदर एक जिला से दूसरे जिला के स्थानान्तरण एक समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान किया जा रहा है जिसके अध्यक्ष क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक होंगे तथा संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक इस समिति के सदस्य होंगे । इसी तरह से निरीक्षक सिपाही स्तर के पुलिसकर्मियों का अन्तर्क्षेत्र तथा किसी अन्य इकाइयों के बीच अन्तर स्थानान्तरण करने हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन से पुलिस महानिरीक्षक द्वारा समिति गठित किये जाने का भी प्रावधान है । अतएव बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा-10(1) के निम्नलिखित संशोधन को संबंधित बिहार पुलिस संशोधन विधेयक, 2022 महोदय, मैं आग्रह करूँगा कि सदन इसे पारित करने की कृपा करे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हुआ ।

<u>बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन(संशोधन) विधेयक, 2022</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ । विचार का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री ।

विचार का प्रस्ताव

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं श्री राजेश कुमार का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करूँगा । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2022 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।''

महोदय, समान तौर से मैं किसी संशोधन विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव नहीं देता क्योंकि जब मूल विधेयक प्रभावी है तो उसके संशोधन विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का कोई औचित्य नहीं है । लेकिन इस संशोधन विधेयक में जानबूझकर मैंने सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव दिया है । वस्तुत: इस विधेयक के उद्देश्य एवं हेतु को मैंने पढ़ने की कोशिश की लेकिन वह समझ से परे है । मंत्री जी यदि इसे पढ़कर समझा देंगे तो मैं आभारी रहूँगा । इसी अस्पष्टता के कारण मैंने इसके सिद्धांत पर विमर्श कर प्रस्ताव दिया है ।

अध्यक्ष : इसमें श्री ललित कुमार यादव एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं हैं।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टर्न-14/पुलकित/30.03.2022

विधेयक के मूल पाठ में संशोधन

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड- 2 में तीन संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : जी, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड- 2 में प्रस्तावित संशोधन के अंत में एक नया उपखंड निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

(V) किसी भी वित्तीय वर्ष में उधार ली गयी राशि से भवन निर्माण जैसे अनुत्पादक काम नहीं कराये जायेंगे ।''

महोदय, सबसे पहले तो उधार लेना ही नहीं चाहिए लेकिन यदि उधार लिया जाना आवश्यक हो तो वैसी स्थिति में उधार की राशि से अनुत्पादक काम नहीं किये जाने चाहिए, इसलिए मैंने यह संशोधन दिया है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहूंगा कि अजीत शर्मा जी को रिश्ते का भी निर्माण करना चाहिए । उप मुख्यमंत्री जी का यह विधेयक है, कम से कम उनको इसमें संशोधन नहीं लाना चाहिए ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप उनको सबसे अलग करना चाहते हैं क्या ? सबके साथ ही रहने दीजिये ।

(व्यवधान)

सर, वे सदन के भी नेता हैं और बिहार के भी मुखिया हैं, सबको साथ रहने दीजिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इन्होंने जो सिद्धान्त का प्रस्ताव दिया था उसके बाद से तो इनका बाकी खंडों में संशोधन अमान्य हो जाना चाहिए क्योंकि उसमें इन्होंने स्वीकार किया है, जो अपनी बात रख रहे थे कि इनकी समझ में पूरा विधेयक आया ही नहीं है । वह उद्देश्य और हेतु जो इस विधेयक के उद्देश्य और हेतु में लिखा हुआ है कि यह क्यों लाया गया है ? माननीय सदस्य ने स्वीकार किया है कि वह उसको पढ़ें और उन्हें समझ में नहीं आया । जब उद्देश्य ही समझ में नहीं

आया तो खंड में इस तरह के संशोधन लाने का क्या औचित्य है ? महोदय, यह तो आसन से अमान्य हो जाना चाहिए ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, आसन से क्यों ? मुझे पूरी समझ में नहीं आया, आपको लगा कि सब समझ में नहीं आया ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड- 2 में प्रस्तावित संशोधन के अंत में एक नया उपखंड निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

(V) किसी भी वित्तीय वर्ष में उधार ली गयी राशि से भवन निर्माण जैसे अनुत्पादक काम नहीं कराये जायेंगे ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, एक नियमन यह भी होना चाहिए कि जो संशोधन मूव करने वाले सदस्य अगर अपने संशोधन के पक्ष में 'हां' भी न कहें तो उनके तो अगले सारे संशोधन अमान्य कर दीजिये ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड- 2 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड (i) के अंत में एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

परन्तु उधार अनिवार्य स्थिति में ही लिया जायेगा ।''

महोदय, लगभग हर वर्ष यह संशोधन विधेयक आता है और उधार की सीमा को बढ़ाया जाता है । उधार कोई गौरव का विषय नहीं है, उधार अनिवार्य स्थिति में ही लिया जाये, इसलिए मैंने यह संशोधन दिया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड- 2 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड (i) के अंत में एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

परन्तु उधार अनिवार्य स्थिति में ही लिया जायेगा ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड- 2 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड (ii) के अंत में एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

परन्तु उधार अनिवार्य स्थिति में ही लिया जायेगा और उससे सदन को अवगत कराया जायेगा ।''

महोदय, यह भी उसी का समरूप है । उधार अनिवार्य स्थिति में लिया जाये, इसलिए मेरा यह प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड- 2 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड (ii) के अंत में एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

परन्तु उधार अनिवार्य स्थिति में ही लिया जायेगा और उससे सदन को अवगत कराया जायेगा ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड- 2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड- 2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड- 1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड- 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

प्रभारी मंत्री ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष महोदय, इस बात से पूरा सदन अवगत है कि राज्य में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006, बिहार अधिनियम, 2005, 2006 लागू किया गया था । इस अधिनियम द्वारा राज्य के राजकोषीय घाटे एवं ऋण उगाही की अधिसीमा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती रही है और उसी के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 में संशोधन किया जाता रहा है । महोदय, कोविड-19 की महामारी के कारण विगत दो वर्षों से उत्पन्न परिस्थिति के आलोक में राज्य का वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ रखने का चुनौतीपूर्ण कार्य किया जा रहा है । राज्य की स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है । इस विकट स्थिति के बावजूद राज्य सरकार द्वारा अपने सभी कर्मियों एवं पेंशनधारियों को ससमय वेतन एवं पेंशन का भुगतान किया जा रहा है । साथ ही, संसाधन उपलब्धता की चुनौती के बावजूद पथों एवं पुलों का निर्माण, गरीब एवं मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, पोशाक, साईकिल आदि के रूप में आर्थिक सहायता एवं वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवाओं एवं परित्यकताओं को आर्थिक सहायता आदि कार्य किये जा रहे हैं । राज्य के व्यय में कोरोना, पूर्व काल से लगभग 13 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है । महोदय, जो राज्य सरकार के लोक-कल्याणकारी दायित्वों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है । इस वैश्विक महामारी की वजह से आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट के फलस्वरूप जहां एक ओर राज्य के राजस्व संग्रहण में कम वृद्धि दर्ज की गयी है, वहीं दूसरी ओर इस महामारी एवं आर्थिक मंदी से निपटने के लिए विकासात्मक तथा जनकल्याण संबंधी व्यय और मांगों को सहायता प्रदान करने के कारण सार्वजनिक व्यय में अप्रत्याशित उछाल आया । महोदय, इस राजकोषीय असंतुलन से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने जहां एक ओर राज्यों को

अंतरण होने वाले करों में हिस्सा के साथ-साथ अनुदान तथा सहायता प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर ऋण लेने की सीमा में भी बढ़ोतरी की । राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के संयुक्त प्रयास से इस बार बिहार देश में सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य रहा है । अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा एवं वार्षिक ऋण सीमा में अतिरिक्त 02 प्रतिशत की वृद्धि कर 05 प्रतिशत किया गया था । चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा एवं वार्षिक उधार सीमा को कुछ शर्तों के साथ सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 04 प्रतिशत तथा ऊर्जा प्रक्षेत्र में सुधार के लिए 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा किये जाने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन अधिनियम, 2021 अधिनियमित किया गया है । अध्यक्ष महोदय, पुनः 15वें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए उधार सीमा की वार्षिक अधिसीमा निर्धारित किये जाने की अनुशंसा की गयी है । वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की सामान्य निवल उधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत होगी । वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 की तीन वर्ष की अवधि के लिए राज्य की सामान्य निवल उधार सीमा सकल राज्य घरेलू राज्य का तीन प्रतिशत होगी । वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिए निर्धारित अधिसीमा के अतिरिक्त राज्य की वार्षिक उधार सीमा 0.5 प्रतिशत से वर्धित होगा । यह अतिरिक्त उधार सीमा ऊर्जा क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में होगी । जो भारत सरकार के द्वारा निर्धारित शर्त के अधीन होगी । वित्तीय वर्ष 2021-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान किसी विशिष्ट वर्ष में राज्य अपनी स्वीकृत उधार सीमा का पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं होता है ।

(क्रमशः)

टर्न-15/अभिनीत/30.03.2022

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री (क्रमशः) : महोदय, बाद के वर्षों में पंचाट अवधि के भीतर अनुपयोजित उधार सीमा का उपयोग करने का विकल्प होगा । महोदय, अतिरिक्त ऋण उगाही से प्राप्त राशि का उपयोग राज्य के विकासात्मक एवं पूंजीगत कार्यों में किया जा रहा है ताकि जहां एक ओर राज्य में परिसंपत्तियों का सृजन हो वहीं दूसरी ओर रोजगार के नये अवसर भी उपलब्ध हो सके । अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य अवगत होंगे कि राजकोषीय घाटे की सीमा तक की ऋण उगाही राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है । ऋण की अधिसीमा भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है । माननीय सदस्यों से आपके माध्यम से अनुरोध है कि

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित करने की कृपा की जाय ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, एक मिनट । महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को इस बिहार राज्य की जनता की ओर से बधाई देता हूं । पहली दफा मार्च, 2006 में यह विधेयक आया । नहीं तो इसके पहले चार वाक्य का जो सिद्धांत है ''ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, यावज्जीवेत्सुखं जीवेत्'' खजाना लूटे ये माननीय मुख्यमंत्रीजी की दया कृपा से पहली बार वित्तीय प्रबंधन के लिए इतना बेहतर विधेयक 2005-06 में आया कि अब कोई गड़बड़ी खजाने में नहीं हो सकती है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हुआ ।

बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव, सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।''

महोदय, इस विधेयक को लाने का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वशासन में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकना है लेकिन यह संशोधन विधेयक अपने उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम नहीं है । इस संशोधन विधेयक द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में मुख्य पार्षदों और उप मुख्य पार्षदों के प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कही गयी है । महोदय, मुख्य पार्षद का प्रत्यक्ष निर्वाचन समझ में आता है परंतु उप मुख्य पार्षद के प्रत्यक्ष निर्वाचन का क्या औचित्य है ? क्या पंचायतों में उप मुखिया का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है ? मुख्य पार्षद को, वैधानिक अधिकार मूलतः अपर्याप्त नहीं है और वह केवल मुख्य पार्षद के अनुपस्थिति में कार्य करता है । अगर मुख्य पार्षद का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाता है तो इस विधेयक के लागू होने के बाद उप मुख्य पार्षद उनकी जगह ले लेगा । इस विधेयक में यह उल्लेख है कि मुख्य पार्षद का पद रिक्त होने पर उनके पुनः चुनाव की क्या व्यवस्था है । क्या बचे समय के लिए उप मुख्य पार्षद मुख्य पार्षद का कार्य करेंगे । महोदय, भ्रष्टाचार पर अंकुश लागाने के लिए मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव कराये जाने की व्यवस्था है लेकिन चुनाव में हो रहे व्यय पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कानून पर विचार नहीं किया जा रहा है । महोदय, अगर स्वस्थ लोकतंत्र लाना है तो इसके लिए सरकार को पारदर्शी एवं स्वच्छ व्यवस्था लागू

करने की आवश्यकता है । महोदय, मैंने इसलिए इस विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव दिया है ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा विधेयक पर जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अंदर दे ।''

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया है ताकि एक बार में ही जितने भी संशोधन आवश्यक हों सब हो जायं और सदन का कीमती समय जाया न हो ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अंदर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अंदर दे ।''

महोदय, मैंने सम्यक विचार हेतु यह प्रस्ताव दिया है । इससे सदन का कीमती समय बचेगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अंदर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

<u>विधेयक के मूल पाठ में संशोधन</u>

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड-2 एवं 3 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने ।

खंड- 4 में 2 संशोधन हैं । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड- 4 में प्रस्तावित धारा 12(4) की पहली पंक्ति के शब्द ''अधिकार'' एवं शब्द ''नगरपालिका'' के बीच शब्द समूह ''पदेन सदस्यों सहित'' अंतःस्थापित किया जाय ।''

महोदय, पदेन सदस्यों को भी वोटिंग राइट मिले इसलिए मैंने यह प्रस्ताव किया है अन्यथा पदेन सदस्यों को लोग सेकेंड सिटिजन मानेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड- 4 में प्रस्तावित धारा 12(4) की पहली पंक्ति के शब्द ''अधिकार'' एवं शब्द ''नगरपालिका'' के बीच शब्द समूह ''पदेन सदस्यों सहित'' अंतःस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड- 4 में प्रस्तावित धारा 12(4) की पहली पंक्ति के शब्द ''सदस्य'' के स्थान पर शब्द ''पार्षद'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, सभी जगहों पर सदस्य को पार्षद किया गया है परंतु लगता है सरकार से भूल से यह सदस्य रह गया इसलिए मैंने यहां भी पार्षद करने का प्रस्ताव किया है ।

टर्न-16/हेमन्त/30.03.2022

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-4 में प्रस्तावित धारा 12(4) की पहली पंक्ति के शब्द 'सदस्य' के स्थान पर शब्द 'पार्षद' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-5 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-5 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-6 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : जी, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-6 में प्रस्तावित धारा 23(1) की पहली पंक्ति के शब्द 'द्वारा' को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया है क्योंकि यह शब्द अप्रासंगिक है । इस शब्द के रहने से पूरा वाक्य ही अप्रासंगिक हो जायेगा । इसलिए इसे मान लिया जाय अन्यथा इसी एक शब्द को संशोधित करने के लिए आपको फिर एक संशोधन विधेयक लाना होगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-6 में प्रस्तावित धारा 23(1) की पहली पंक्ति के शब्द 'द्वारा' को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-6 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-6 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-7 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-7 में प्रस्तावित परन्तुक की दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''इतनी अवधि तक, जो उचित समझे'' के स्थान पर शब्द समूह ''अधिकतम छः माह तक'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि विधेयक में अवधि निश्चित नहीं है । अवधि निश्चित करने के लिए यह संशोधन है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-7 में प्रस्तावित परन्तुक की दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''इतनी अवधि तक, जो उचित समझे'' के स्थान पर शब्द समूह ''अधिकतम छः माह तक'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-7 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-7 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-8 में तीन संशोधन हैं । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : जी, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-8 में प्रस्तावित प्रावधान धारा 25(3) को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि पार्षद और उप मुख्य पार्षद पर बार-बार लाये जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव, उससे उत्पन्न होने वाली चर्चाओं पर रोक लगाने के लिए सीधे निर्वाचन के पार्षद और उप मुख्य पार्षद के निर्वाचन की प्रक्रिया की गयी है । सीधे निर्वाचित प्रतिनिधि को किस तरह से अविश्वास प्रस्ताव से पार्षदगण हटा सकेंगे यह समझ से परे है और यह असंवैधानिक भी होगा । इसलिए मेरे इस प्रस्ताव को मान लिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-8 में प्रस्तावित प्रावधान धारा 25(3) को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-8 में प्रस्तावित प्रावधान धारा 25(4) के अंतिम पंक्ति के शब्द 'सकेगा' के स्थान पर शब्द 'सकेगी' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, विधेयक लाने में हिंदी की त्रुटियों का ख्याल नहीं रखा गया । सरकार को 'सकेगा' लिख दिया गया है । इसलिए मैंने यह संशोधन दिया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-8 में प्रस्तावित प्रावधान धारा 25(4) के अंतिम पंक्ति के शब्द 'सकेगा' के स्थान पर शब्द 'सकेगी' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-8 में प्रस्तावित प्रावधान धारा 25(4) के परन्तुक को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, लोक प्रहरी की नियुक्ति का प्रावधान नगर पालिका अधिनियम, 2007 में रहने के बावजूद 15 वर्षों में नहीं हुई । वैसे भी लोक प्रहरी को अगर एक शक्ति दी जायेगी, तो एक अलग शक्ति केंद्र के रूप में वे विकसित होंगे । इसलिए मैंने यह संशोधन दिया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-8 में प्रस्तावित प्रावधान धारा 25(4) के परन्तुक को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-8 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-8 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एवं 21 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एवं 21 इस विधेयक के अंग बनें ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एवं 21 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-17/धिरेन्द्र/30.03.2022

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

महोदय, भारतीय संविधान के भाग-9(क) के प्रावधानों के आलोक में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया गया । उक्त अधिनियम की धारा-23 में नगरपालिकाओं के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन वार्ड पार्षदों के बहुमत से किये जाने का प्रावधान है । अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नगरपालिकाओं के महापौर एवं उप महापौर, मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के सभी पद अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं । अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित महापौर एवं उप महापौर, मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के विरुद्ध दो वर्ष के उपरांत अविश्वास प्रस्ताव लाने तथा उसके उपरांत पुनः एक-एक वर्ष के अंतराल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने का भी प्रावधान है । बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के वर्तमान प्रावधानों के फलस्वरूप नगरपालिका के कार्यकाल में निर्वाचित पार्षदों के बीच गुटबाजी एवं अनुचित दवाब इत्यादि की शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिससे नगरपालिकाओं के विकास एवं अन्य कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । जिस महापौर एवं उप महापौर, मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है उसे पुनः निर्वाचन में अभ्यर्थीता होने के कारण भी अनियमितताओं की संभावना होती है । इस प्रकार की स्थिति स्थानीय स्वशासन की भावनाओं के अनुरूप नहीं है तथा ग्रासरूट स्तर पर स्वस्थ लोकतंत्र की अवधारणा के विरुद्ध भी है । इस प्रकार की स्थिति को रोकने तथा राज्य में नगर निकायों के स्थानीय स्वशासन को बेहतर करने हेतु नगरपालिका के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से महापौर एवं उप महापौर, मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद निर्वाचित करने का प्रावधान किया जाना आवश्यक हो गया है । इसी के फलस्वरूप बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 पुरःस्थापित किया गया है, जिसे बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव है । इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जिन नगर निकायों का कार्यकाल शेष बचा हुआ है उनके मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान है । महोदय, इस विधेयक से नगर निकायों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ेगी । महोदय, इसलिए पूरे सदन से आग्रह है कि इस क्रांतिकारी कदम और जो संशोधन लाया गया है, सर्व-सम्मति से उसे पारित करें जिससे नगरीय क्षेत्र में एक

बेहतर और स्वच्छ स्थानीय स्तर पर प्रशासन को बेहतर किया जा सके । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हुआ ।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव, सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा । क्या माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राजेश कुमार : मूव करूंगा । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022 के सिद्धान्त पर विमर्श हो ।''

अध्यक्ष महोदय, यह शराबबंदी कानून वर्ष 2016 में जो लाया गया था और उस समय जब हमलोग संकल्प लिये थे, उसके मूल विधेयक में आज यह संशोधन लाया जा रहा है । उस मूल विधेयक में सुधार किया जा रहा है । इस विधेयक में पहली बार शराब पीने पर व्यक्ति को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर जुर्माना लेकर छोड़ने का प्रावधान तो किया गया है लेकिन व्यक्ति को इसका अधिकार नहीं दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक के धारा-39 की उप धारा-1 को बनाये रखने और उप धारा-2 को हटाने का औचित्य समझ में नहीं आ रहा है । अध्यक्ष महोदय, उप धारा-2 को विलोपित किया जाता है तो उप धारा-1 को शिथिल किया जा रहा है । इस संदर्भ में, मैं इसलिए इस विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श लाया हूँ कि आज आवश्यकता इस बात की है कि पुनः इसको सभी राज्यों से अध्ययन कर और इसके एक्सपर्ट को, नये सिरे से अध्ययन करा कर इस शराबबंदी को मूलतः रूप से सशक्त बनाने की जरूरत पर रिसर्च और सर्वेक्षण की आवश्यकता है । यदि आवश्यकता पड़े तो दूसरे राज्यों से इस पर विमर्श कर पूर्णतः इस कानून को लाया जाय चूंकि इस तरह से बार-बार कानून में संशोधन लाने से और इसमें कई तरह की विसंगतियां, हड़बड़ी में लाने में पुनः कोई त्रुटि रह जाती है । इसलिए मैं इस संशोधन के सिद्धान्त पर विमर्श लाया था कि इसको और धारदार और ताकतवर बनाने के लिए समय की आवश्यकता है। केवल कानून और विधेयक बना देने से यह कारगर नहीं होगा । इसलिए मैंने इस विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव दिया है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा विधेयक का जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अजय कुमार सिंह : मूव करूंगा । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अन्दर दे ।''

महोदय, यह संशोधन वर्ष 2016 में मद्यनिषेध और उत्पाद, इसी सदन में सर्व-सम्मति से पारित किया गया था । अगर उस समय ही संयुक्त प्रवर समिति के सामने देकर इसके अच्छे और बुरे पहलू पर विचार किया गया होता तो आज संशोधन की जरूरत नहीं होती और संशोधन की जरूरत तब पड़ी जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने टीका-टिप्पणी की । इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें जो भी त्रुटियां आज भी रह गई हैं उसे दूर करने के लिए संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अन्दर दे ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

<u>विधेयक के मूल पाठ में संशोधन</u>

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड-2 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे?

टर्न-18/संगीता/30.03.2022

श्री समीर कुमार महासेठ : जी, मैं मूव करूंगा । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-2 को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, इसमें प्रदर्श को परिभाषित किया गया है, फोटोग्राफ, एनीमेशन आदि । ऐसे कोई प्रदर्श नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने यह संशोधन दिया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-3 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-4 में 2 संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अजीत शर्मा : महोदय, इसको छोड़ दिया जाय ।

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : दबाव में ?

(व्यवधान)

क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ?

आप भी नहीं करेंगे ?

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, मूव करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-4 के उपखंड (1) में प्रस्तावित स्पष्टीकरण 1 को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, इसलिए मैं विलोपित करने की बात कहता हूं कि जब कहा जा रहा है कि नशे की अवस्था में पाया जाता है या किसी मादक द्रव्य के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जायेगा और नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा उसे छोड़ दिया जायेगा । यदि वह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित शास्ति का भुगतान कर देता है, ऐसी शास्ति का भुगतान करने में विफल होने पर उसे एक माह का साधारण कारावास दिया जायेगा। उसके पास कोई मादक पदार्थ मिलने पर उसे धारा-57 के अनुसार जब्त कर नष्ट कर दिया जायेगा, परन्तु बार-बार अपराध करने की दशा में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अतिरिक्त शास्ति या कारावास दोनों विहित कर सकेगी । जब इतना है ही तो स्पष्टीकरण की क्या जरूरत है, इसमें कहा गया है कि पुलिस पदाधिकारी या उत्पाद पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर मजिस्ट्रेट छोड़ नहीं सकता है ।

एक ओर आप कहते हैं कि उससे जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा और एक ओर कहते हैं कि नहीं छोड़ा जाएगा तो यह विसंगति अपने आप में है और पुलिस अधिकारी जो है तब उसकी मनमानी बढ़ जाएगी । महोदय, यह स्पष्ट है, यह सर्वविदित है कि पुलिस अधिकारी के मेल से भी शराब गांव-देहात में बनता है, इसके सबूत के लिए अगर सरकार चाहे तो उसका निरीक्षण करा सकती है, उसकी जांच करा सकती है तो आपके मगधी कवि थे, नवीन जी वे कहते थे कि :

''जब संते निगल गेलन गाय, तब कि करतै सी0बी0आई0''

तो इनके संरक्षण में अगर शराब बनेगी और यही प्रतिवेदन देंगे तो इससे बेहतर है कि इसको विलोपित किया जाय और ऊपर वाले खंड में पर्याप्त व्यवस्था है शराब पीने वाले के लिए । महोदय, धन्यवाद ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-4 के उपखंड (1) में प्रस्तावित स्पष्टीकरण 1 को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-5 एवं 6 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-5 एवं 6 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-5 एवं 6 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-7 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे सर । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-7 के उपखंड (2) के मद (i) को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया है क्योंकि जब्त मदों का अधिहरण करने के क्रम में कोई परिसर या उसके भाग को भी अधिहरण कर लिया जायेगा । इसमें दूषित मंशा में भी किसी को फंसाये जाने की संभावना है इसलिए परिसर या उसके भाग के अधिहरण को विलोपित किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-7 के उपखंड (2) के मद (i) को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-7 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-7 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-8 एवं 9 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-8 एवं 9 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-8 एवं 9 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-10 में एक संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे अध्यक्ष महोदय । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खड-10 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड (1) के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

राज्य सरकार विभिन्न प्रकार की शास्तियों से संबंधित अधिसूचना 15 दिनों के अंदर निर्गत करेगी ।''

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया है क्योंकि विधेयक में लिखा हुआ है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय लेकिन यदि अधिसूचना के पूर्व ही कोई घटना होती है तो क्या होगा इसलिए मेरा प्रस्ताव 15 दिनों के अंदर अधिसूचना निर्गत करने के लिए है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खड-10 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड (1) के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

राज्य सरकार विभिन्न प्रकार की शास्तियों से संबंधित अधिसूचना 15 दिनों के अंदर निर्गत करेगी ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

सिर्फ दो ही आदमी क्यों बोलते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हैं, आपलोग इसका मतलब इसे पढ़े नहीं हैं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-10 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-10 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-11 में 1 संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मूव करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-11 में प्रस्तावित संशोधन की छठी पंक्ति के शब्द ''तथा'' एवं शब्द ''उसके'' के बीच शब्द समूह ''शराब का व्यापार होता हुआ पाये जाने पर'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

(क्रमश:)

टर्न-19/सुरज/30.03.2022

...क्रमश:...

श्री अजीत शर्मा : महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिये दिया है क्योंकि जब तक शराब का व्यापार होता हुआ नहीं पाया जाय, तब तक अधिग्रहण अन्यायपूर्ण होगा इसलिये अधिहरण करना ही हो तो यह प्रमाणित होना चाहिये कि वहां शराब का व्यापार हो रहा है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-11 में प्रस्तावित संशोधन की छठी पंक्ति के शब्द ''तथा'' एवं शब्द ''उसके'' के बीच शब्द समूह ''शराब का व्यापार होता हुआ पाये जाने पर'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-11 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-11 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-12 एवं 13 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-12 एवं 13 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-12 एवं 13 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड-14 में 2 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-14 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड (2) की दूसरी पंक्ति के शब्द ''नहीं'' को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिये दिया है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के तौर पर कहीं भी तस्वीर चिपकाई जा सकती है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-14 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड (2) की दूसरी पंक्ति के शब्द ''नहीं'' को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-14 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड (2) की दूसरी एवं तीसरी पंक्ति के शब्द समूह ''संबंद्ध उत्पाद पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी ऐसी बरामदगी का इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेगा ।'' को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, आये दिन हमलोग देखते हैं कि टेम्पर्ड वीडियो चला दिया जाता है सोशल मीडिया पर । इसी से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में हेर-फेर होना कितना आसान है इसलिये मैंने यह संशोधन दिया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-14 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड (2) की दूसरी एवं तीसरी पंक्ति के शब्द समूह ''संबंद्ध उत्पाद पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी ऐसी बरामदगी का इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेगा ।'' को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-14 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-14 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-15 में 1 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-15 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड (2) की दूसरी पंक्ति के शब्द ''पदाधिकारी'' एवं शब्द ''एक'' के बीच शब्द समूह ''एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

महोदय, कई पुलिसकर्मियों के बहुत सारे कारनामे हमलोगों के सामने है इसलिये जब्ती सूची मजिस्ट्रेट के सामने बने इसलिये मैंने यह प्रस्ताव दिया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-15 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड (2) की दूसरी पंक्ति के शब्द ''पदाधिकारी'' एवं शब्द ''एक'' के बीच शब्द समूह ''एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-15 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-15 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-16 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-16 में प्रस्तावित संशोधन की पांचवी पंक्ति के शब्द ''बिना'' एवं शब्द ''एक'' के बीच शब्द समूह ''एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

महोदय, यहां टनों शराब चूहे भी पी जाते हैं ऐसा समाचार सुर्खियों में था इसलिये जो नष्ट किया जाय, वह मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हो इसलिये मैंने यह संशोधन दिया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–16 में प्रस्तावित संशोधन की पांचवी पंक्ति के शब्द ''बिना'' एवं शब्द ''एक'' के बीच शब्द समूह ''एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–16 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–16 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–17 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड–17 को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिये दिया है क्योंकि देश के निर्धनतम राज्यों में बिहार है । यहां केवल शराब के मामले की सुनवाई के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना या उसकी शक्ति प्रदान करना न्यायसंगत नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–17 को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–17 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–17 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–18 में तीन संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-18 को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिये दिया क्योंकि गरीब राज्य बिहार पर एक और अनावश्यक भार पड़ेगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-18 को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-18 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड (4) की पहली पंक्ति के शब्द समूह ''एक वर्ष'' के स्थान पर शब्द समूह ''तीन माह'' प्रति:स्थापित किया जाय ।''

महोदय, मामले का निपटारा जल्द से जल्द हो इसलिये मैंने यह संशोधन दिया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-18 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड (4) की पहली पंक्ति के शब्द समूह ''एक वर्ष'' के स्थान पर शब्द समूह ''तीन माह'' प्रति:स्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-18 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड (4) की पहली पंक्ति के शब्द ''वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''माह'' प्रति:स्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिये दिया ताकि विचारण एक माह के अंदर पूरा किया जा सके ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-18 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड (4) की पहली पंक्ति के शब्द समूह ''एक वर्ष'' के स्थान पर शब्द समूह ''तीन माह'' प्रति:स्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-18 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड-18 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-19 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-19 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड-19 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-1 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

टर्न-20/राहुल/30.03.2022

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-1 के उपखंड (3) की पहली एवं दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''यह तुरंत प्रवृत होगा और इस संशोधन अधिनियम के उपबंध सभी लंबित मामलों पर लागू होंगे'' के स्थान पर शब्द समूह ''यह 02 अक्टूबर, 2016 से प्रवृत होगा'' प्रति:स्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया है ताकि यह दिनांक-02 अक्टूबर, 2016, जब से उत्पाद अधिनियम प्रभावी है तब से प्रभावी हो सके ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-1 के उपखंड (3) की पहली एवं दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''यह तुरंत प्रवृत होगा और इस संशोधन अधिनियम के उपबंध सभी लंबित मामलों पर लागू होंगे'' के स्थान पर शब्द समूह ''यह 02 अक्टूबर, 2016 से प्रवृत होगा'' प्रतिःस्थापित किया जाय ।''

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

महोदय, बिहार राज्य में अप्रैल, 2016 से पूर्ण मद्यनिषेध लागू है । राज्य सरकार की मद्यनिषेध नीति को कार्यान्वित करने हेतु बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016, 2 अक्टूबर, 2016 से लागू है । मद्यनिषेध कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभवों के आधार पर अधिनियम में वर्ष-2018 एवं 2020 में संशोधन किया गया। मद्यनिषेध के कार्यान्वयन हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है और अभियुक्तों को

पकड़ा जा रहा है । अभियुक्तों के विचारण हेतु राज्य में 74 अन्य विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है किन्तु विशेष न्यायालय शराब उपभोग के जुर्म में पकड़े गए अभियुक्तों की जमानत से संबंधित मामलों में ही व्यस्त हैं । परिमाणतः शराब के बड़े अवैध आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित मामलों पर विचारण का समय न्यायालयों को नहीं मिल पा रहा है और शराब माफियाओं पर शीघ्र दंड अधिरोपण नहीं हो पा रहा है । इसके अतिरिक्त पकड़ी गई शराब, वाहन आदि के निष्पादन में विधिसम्मत कार्रवाई करने में जिलास्तरीय पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा मद्यनिषेध पदाधिकारियों की प्रत्यात्मक एवं कागजी कार्यवाही काफी बढ़ गई है। अतएव न्यायालयों में सुनवाई में तेजी लाने और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का ध्यान एवं समय अवैध शराब की आपूर्ति एवं व्यापार करने वाले अभियुक्तों पर केन्द्रित कर उन्हें यथाशीघ्र सजा दिलाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। महोदय, कुछ संशोधनों के संबंध में माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे । एक विचार था कि पुलिस और प्रशासन पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम सदन को यह बताना चाहेंगे कि अब तक के लिए एक्साइज और पुलिस विभाग से 2230 लोगों को बर्खास्त किया गया है । इस तरह से प्रशासन और सरकार मुस्तैद है कि जो भी संलिप्त पाए जाते हैं उनके विरुद्ध जल्द-से-जल्द कार्रवाई हो सके । महोदय, हम यह भी बताना चाहेंगे कि हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो समाज सुधार अभियान चल रहा था उसमें कई जिलों में हमने भी शिरकत की और एक चीज जो स्पष्ट रूप से सामने नजर आई कि इस शराबबंदी कानून को व्यापक समर्थन था विशेषकर महिलाओं के बीच में तो बहुत ज्यादा समर्थन था । जीविका की दीदीयों ने हर जिले में अपने अनुभवों को हम लोगों से साझा किया और यह स्पष्ट रूप से पता चला की उनकी जिंदगी में नई रोशनी आई है, उनके आय के स्रोत बढ़े हैं, नए रोजगार मिले हैं, आत्मसम्मान बढ़ा है और साथ ही साथ महिला उत्पीड़न इत्यादि में भी कमी आई है और जो आंकड़े दिये हैं कुल मिलाकर यही बताते हैं तो यह महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है और समाज की कुरीतियों को दूर करना भी बहुत आवश्यक है । महोदय, यह बताना भी मैं आवश्यक समझता हूं कि हाल में विभाग ने चाणक्या लॉ यूनिवर्सिटी से भी शराबबंदी के संबंध में जनवरी-फरवरी में एक सर्वे करवाया है और उसकी प्रारम्भिक जो रिपोर्ट है उसे हमने देखा है, जो फुल रिपोर्ट है वह बाद में आएगी लेकिन उसमें भी स्पष्ट कहा गया है कि पूरे जन समर्थन के साथ यह शराबबंदी कानून प्रभावकारी है, लोगों का समर्थन है, महिलाओं का तो बहुत ही समर्थन है

और महिलाओं ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि इसे और मजबूती से लागू करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं इन संशोधनों के साथ हम इसे और सख्ती से लागू करेंगे । इस कानून का व्यापक असर न सिर्फ बिहार में हुआ है बल्कि हम सभी जानते हैं कि पूर्व में भी दूसरे राज्यों से टीमें आई थीं और यहां के शराबबंदी कानून के बारे में उन्होंने अध्ययन किया और हाल में राजस्थान से भी एक टीम आई थी और उन्होंने देखा है कि किस तरह से शराबबंदी कानून से लोगों को फायदे हुए हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और जो माननीय सदस्य कह रहे थे कि गरीब राज्य पर इसका असर पड़ेगा आर्थिक रूप से अगर आप न्यायालयों को खोलते हैं लेकिन महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा फायदा तो इसका गरीब तबकों को होगा, जो महिलाएं हैं खासकर के उनको तो जो 74 व्यवहार न्यायालय खोले जाएंगे उसमें बड़े-बड़े माफियाओं इत्यादि को हम लोग सजा देने के मामले में सफल होंगे । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है और सही मानना है, सभी का मानना है कि बिहार का विकास सही मायने में तभी होगा जब समाज की कुरीतियां विकास के साथ-साथ दूर हों तभी समावेशी विकास का मतलब होगा । महोदय, इस बात से हमें खुशी है कि शराबबंदी कानून का इस सदन में आज भी किसी ने विरोध नहीं किया और जो हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे वे टेक्नीकल ग्राउंड पर अपनी बातों को रख रहे थे तो मैं चाहूंगा कि पूर्व की तरह सर्वसम्मति से इस कानून को, इसमें जो संशोधन लाए जा रहे हैं उसे विपक्ष के साथी भी अपना समर्थन दें इसलिए अधिनियम की कतिपय धाराओं में संशोधन, प्रतिस्थापन एवं नई धाराओं का उपस्थापन अपेक्षित है लेकिन अंत में एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे...

श्री प्रहलाद यादव : एक बात कहना चाहता हूं संशोधन जो इधर से दिये गये हैं उनको मान लीजिये सर्वसम्मति से हो जाएगा, क्या दिक्कत है ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : दखिये जो अभी हम लोगों ने संशोधन लाए हैं इसको अच्छे तरीके से हर स्तर पर स्टडी किया गया है, विचार किया गया है, इस पर लीगल वोटिंग कराई गई है तो सोच-समझकर ही यह लाया जा रहा है । इसलिए अभी आप लोगों ने जो बातें कही उनको स्वीकार करना शायद संभव नहीं होगा । महोदय, मैं अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम इस सदन को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम किसी भी निर्दोष को छेडेंगे नहीं लेकिन किसी भी दोषी को छोड़ेंगे भी नहीं और साथ ही साथ हम आपका समर्थन मांगते हैं ताकि बिहार एक खुशहाल, स्वस्थ और विकासशील राज्य बन सके और इस शराबबंदी कानून में जो संशोधन आएंगे वे

निश्चित रूप से प्रभावकारी होंगे हम ऐसा आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कृपया आप अपना समर्थन हमें दें । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, बजट सत्र की पूर्व संध्या पर वसंतोत्सव कार्यक्रम 7.00 बजे संध्या में 02, देशरत्न मार्ग पर आप सभी आमंत्रित हैं ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 30 मार्च, 2022 के लिए कुल स्वीकृत निवेदनों की संख्या 68 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 31 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।